रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 13, 2014/कार्तिक 22, 1936
No. 267] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 13, 2014/KARTIKA 22, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबध्द शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली 12 नवम्बर, 2014

(अंतिम जांच परिणाम)

विषय:- यूरोपियन यूनियन, चीन जन.गण, उक्रैन तथा कोरिया आर.पी के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्रेट के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच का अंतिम जांच परिणाम- के संबंध में।

फाइल सं. 15/1009/2012-डीजीएडी- समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए।

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की ओर से मैसर्स दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, पुणे से एक लिखित आवेदनपत्र प्राप्त हुआ जिसमें यूरोपियन यूनियन, चीन जन.गण., उक्रैन और कोरिया आर.पी के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्रेट के कथित पाटन, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होती है, के संबंध में पाटनरोधी जांच प्रारंभ करने का प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है।

ख. प्रक्रिया

2. इस जांच में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है:

(i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने, यूरोपियन यूनियन, चीन जन.गण उक्रैन और कोरिया आर.पी. (जिन्हें एतद्पश्चात सम्बद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्रेट (जिसे एतद्पश्चात सम्बद्ध वस्तु अथवा एसएनए अथवा उत्पाद कहा गया है) के कथित पाटन, जो घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर रहा है, का आरोप लगाते हुए, घरेलू उद्योग की ओर से मैसर्स दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, पुणे (जिसे एतद्पश्चात आवेदक कहा गया है) से लिखित आवेदनपत्र प्राप्त होने के पश्चात और साक्ष्य की शुरुआत को न्यायोचित ठहराते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर, सम्बद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध जांच करने का निश्चय किया।

(ii) प्राधिकारी ने, पाटनरोधी नियमावली के उप-नियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरुआत की प्रक्रिया से पूर्व भारत, नई दिल्ली में स्थित यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधिमंडल, चीन, उक्रैन और कोरिया आरपी के राजदूतावासों को पाटन के आरोप का आवेदनपत्र प्राप्त होने के बारे में सूचित किया।

(iii) सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 05 जून, 2013 को प्रकाशित सार्वजनिक सूचना संख्या 15/1009/2012-डीजीएडी जारी किया। प्राधिकारी ने जांच अवधि को अक्टूबर, 2011-दिसम्बर, 2012 तक परिवर्तित करने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2013 को एक शुद्विपत्र जारी किया।

(iv) प्राधिकारी ने इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति सभी ज्ञात निर्यातकों (जिनका विवरण आवेदन में उपलब्ध कराया गया था) को प्रेषित की और उन्हें पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार जांच की शुरुआत के संबंध में पत्राचार की तारीख से चालीस दिनों के अंदर अपने विचारों से लिखित रुप में अवगत कराने का अवसर प्रदान किया:

(v) प्राधिकारी ने उक्त सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भारत में सम्बद्ध वस्तु के सभी ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को भी प्रेषित की और उन्हें सुझाव दिया कि वे जांच की शुरुआत के बारे में पत्राचार की तारीख से चालीस दिनों के अंदर अपने विचारों से लिखित रुप से अवगत कराएं।

(vi) प्राधिकारी ने आवेदनपत्र के अगोपनीय पाठ की एक प्रति पाटनरोधी नियमावली के अनुसार सभी ज्ञात निर्यातकों, भारत में यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधिमंडल और चीन, उक्रैन तथा कोरिया आर.पी के भारत स्थित राजदूतावासों को पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार प्रदान कराई। आवेदनपत्र की एक प्रति, जहां कहीं अनुरोध किया गया, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी प्रदान कराई।

(vii) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सम्बद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों (जिनका विवरण आवेदनपत्र में उपलब्ध कराया गया) को प्रश्नावलियां भेजीं,जिसमें चीन जन.गण के सभी ज्ञात निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा प्रश्नावली भी शामिल है, जिससे कि वे प्रासंगिक सूचना प्रदान कर सकें:-

क) जेएससी ''कन्सर्न स्टिराल'', उक्रैन

ख) कैमो इन्वेस्ट ट्रेड यूरोप, केएफटी, हंगरी

ग) शैन्क्सी काल्क्रीट कैमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन

घ) शैन्डांग जिन्हाओ कैमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन

ङ.) जियांगडांग जिडांग कैमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड, चीन

च) जियांग गोल्डवे कैमिकल्स लिमिटेड, चीन

छ) शान्डांग हाईलैंड कैमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, चीन

ज) एस.टी.कैमिकल, दक्षिण कोरिया

झ) टू-टू इंटरनेशनल, दक्षिण कोरिया

ञ) मेटाकेम कार्प, दक्षिण कोरिया

ट) सिमान लिमिटेड, बल्गारिया

ठ) ट्रेड सक्सेस लिमिटेड, बल्गारिया

(viii) किसी भी निर्यातक/ उत्पादक ने कोई भी प्रश्नावली प्रत्युत्तर अथवा प्रस्तुतिकरण दायर नहीं किया।

(ix) उक्रैन के आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित उक्रैन के राजदूतावास के माध्यम से इस जांच के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की।

(x) सम्बद्ध वस्तु के भारत स्थित निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ उत्पादकों/ प्रयोक्ताओं को (जिनके विवरण आवेदनपत्र में उपलब्ध कराए गए थे) पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक जानकारी प्रेषित करने के लिए प्रश्नावलियां भेजी गई:

क) राजस्थान एक्सप्लोसिब्ज एंड कैमिकल्स लिमिटेड, धौलपुर राजस्थान

ख) सुपर शिव शक्ति कैमिकल्स, भीलवाड़ा, राजस्थान

ग) स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड, छत्तीसगढ़

घ) आई डी एल एक्सप्लोसिब्ज लिमिटेड, हैदराबाद

ङ.) स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड, सिधी, मध्य प्रदेश

च) आइडियल इण्डस्ट्रियल एक्सप्लोसिब्ज लिमिटेड, सिकन्दराबाद

छ) नवभारत एक्सप्लोसिब्ज लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़

ज) सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, नागपुर

झ) महानदी मेटल्स एंड कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, सुन्दरगढ़, उड़ीसा

ञ) वेट्रिवेल एक्सप्लोसिब्ज प्राइवेट लिमिटेड, थुराइयूर, सेलम

ट) केल्टेक इनर्जीज लिमिटेड, बंगलोर

ठ) ग्रौर वील (इंडिया) लिमिटेड, दादरा

ड) इन्द्रजीत इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर

ढ) हार्डकैसल पेट्रोफर प्राइवेट लिमिटेड, उमरगांव, वलसाड

ण) जाजू कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव

त) जगतजीत इंडस्ट्रीज, साहिबाबाद, जिला-गाजियाबाद

थ) स्लाट ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भड़ौच, गुजरात

द) पूजा ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश

ध) सेण्ट गोबैन ग्लास इंडिया लिमिटेड, श्रीपेरम्बदूर, तमिलनाडु

न) गीता ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश

प) श्री बाल किशन अग्रवाल ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश

फ) मीरा ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश

ब) बिसाजा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बुडासन

भ) जगदम्बा ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश

म) प्रगति ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कोसाम्बा

य) एडवान्स ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश

कक) राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई

खख) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नोएडा

(xi) इस जांच शुरुआत अधिसूचना का केवल तीन आयातकों/प्रयोक्ताओं नामश: राजस्थान एक्सप्लोसिब्ज एंड कैमिकल्स लिमिटेड, धौलपुर, राजस्थान, स्कास्ट ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भड़ौच, तथा सन्दीप आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई ने प्रत्युत्तर दिया। उन्होंने कुछ प्रस्तुतिकरण किए परंतु उन्होंने कोई आयातक प्रश्नावली का प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

(xii) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के खुली रखी गई सार्वजनिक फाइल के रुप में उपलब्ध कराया।

(xiii) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना की प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने, यथावांछित, गोपनीयता के दावे के स्वीकार कर लिया और उस जानकारी को गोपनीय के रूप में माना गया और उसका अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन नहीं किया गया। गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान कराने वाले पक्षकारों को, जहां कहीं संभव हुआ, यह निदेश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ भी प्रदान कराएं।

(xiv) आवेदनकर्ता तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों से जरुरी समझी गई सीमा तक और अधिक जानकारी मांगी गई।

(xv) गैर क्षतिकारी कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा भारत में सम्बद्ध वस्तु की उत्पादन लागत तथा उसका विनिर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर किया गया ताकि यह सुनिश्चिय किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से न्यूनतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

(xvi) यह जांच अक्टूबर, 2011 से प्रारंभ करके दिसम्बर, 2012 तक की जांच की अवधि (पीओआई) के लिए की गई। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच के लिए वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और जांच की अवधि को भी शामिल किया गया।

(xvii) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से जांच की अवधि सहित पिछले तीन वर्षो के दौरान सम्बद्ध वस्तु के आयातों का विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया और उक्त जानकारी डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त की गई।

(xviii) प्राधिकारी ने भारत में सम्बद्ध वस्तु की उत्पादन लागत तथा गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का अनुबंध-III में विनिर्दिष्ट दिशा निर्देशों के आधार पर जांच की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से न्यूनतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

(xix) प्राधिकारी ने, पाटनरोधी नियमावली और अधिनियम को ध्यान में रखते हुए यूरोपिया यूनियन, चीन जन.गण., उक्रैन और कोरिया आरपी के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्रेट के आयातों के संबंध में अनंतिम पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश अपनी दिनांक 06.01.2014 की प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 15/1009/2012-डीजीएडी के तहत की थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशें वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर ली गई और दिनांक 19 मार्च, 2014 की अधिसूचना संख्या 14/2014 के तहत अंतरिम शुल्क का उदग्रहण छह महीनों से अनधिक समय के लिए किया गया था।

(xx) पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने दिनांक 24 जुलाई, 2014 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने इस सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार व्यक्त किए थे उनसे अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से अभिव्यक्त अपने विचारों को लिखित रूप में भी प्रस्तुतिकरण करें। लिखित प्रस्तुतिकरणों/प्रति-प्रत्युत्तरों में हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त तर्कों पर विचार किया गया है।

(xxi) यह जांच पूरी करने की मूल तारीख 05.06.2013 थी। तथापि, प्राधिकारी के अनुरोध पर वित्त मंत्रालय द्वारा उसे दिनांक 04.12.2014 तक बढ़ा दिया गया है।

(xxii) इस जांच के लिए आवश्यक समझे गए तथ्यों/आधारों का प्रकटन सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को 29.09.2014 को किया गया। संगत समझे जाने वाले प्रस्तुतिकरणों को इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में निराकरण किया गया।

(xxiii) संगत समझे जाने वाले प्रस्तुतिकरणों को इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में निराकरण किया गया।

(xxiv) इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में *** जानकारी घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का प्रतिनिधित्व करती है और उसे प्राधिकारी द्वारा नियमों के अंतर्गत वैसा ही माना गया है।

(xxv) जांच की अवधि के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डालर = 53.23/- रुपया है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सोडियम नाइट्रेट, एक रासायनिक यौगिक है जिसका गुणसूत्र एनएएनओ$_3$ है। इस लवण को चिली साल्टपीटर अथवा पेरु साल्टपीटर के रुप में भी जाना जाता है, यह जल में घुलनशील एक सफेद ठोस होता है। इसके मिनरल रूप को नाइट्रेटाइन, नाइट्रेटाइट या सोडा नाइटर के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम नाइट्रेट को सोडियम नाइट्राइट का विनिर्माण करने में एक सह उत्पाद के रूप में अवकलित किया जाता है। नाइट्रस आक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और तब सोडियम नाइट्राइट एवं सोडियम नाइट्रेट प्राप्त करने के लिए नाइट्रस आक्साइड को कास्टिक सोडा में अवशोषित किया जाता है।

4. इस उत्पाद के कोई ज्ञात ग्रेड नहीं हैं। परम्परागत अनुप्रयोग जिनमें सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जा सकता है, वह है उष्मा अंतरण लवण एवं फ्लक्स; पोटैशियम तथा बेरियम के अन्य विभिन्न नाइट्रेट लवणों, कृषि रसायनों, बल्क मध्यवर्तियों का विनिर्माण करना, ग्लास ब्लास्टिंग पाउडर, स्लरी, डाइनामाइट माचिसो एफएनएस तथा निष्पादन रसायनों, चर्म परिशोधन रसायनों इमेजिंग तथा रंग मध्यवर्तियों, फार्मास्युटिकल मध्यवर्तियों रबर रसायन मध्यवर्तियों का विनिर्माण करना। सोडियम नाइट्रेट को सोडियम नाइट्राइट का विनिर्माण करने में एक सह उत्पाद के रूप में अवकलित किया जाता है। सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग उर्वरकों का उत्पादन करने में नाइट्रोजन के एक स्रोत के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। वास्तव में इसी कारण से इस उत्पाद को सीमाशुल्क शीर्षक संख्या 31025000 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और इस पर शून्य सीमा शुल्क लगता है। उर्वरक उद्योग को बाजार में कई ऐसे उत्पाद उपलब्ध हैं जिनका प्रयोग नाइट्रोजन के एक स्रोत के रूप में किया जा सकता है। इसमें शामिल हैं यूरिया और अमोनिया नाइट्रेट। तथापि, वर्ष 2012-13 में यूरिया और अमोनिया नाइट्रेट में नाइट्रोजन संघटक की कुल लागत, जो क्रमश: 20/-रुपए प्रति किलोग्राम से 52/-रुपए प्रति किलोग्राम है, सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन पोषण की कुल लागत, जो 159.68/-रुपए प्रति किलोग्राम है, की तुलना में बहुत कम पड़ती है। यह देखा जा सकता है कि यदि सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में किया जाता है तो इसका आशय है आठ गुना अधिक लागत जिसे उस उपभोक्ता से वसूल किया जाएगा जो नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में यूरिया का प्रयोग करता है। इतने अधिक अंतर पर ध्यान देते हुए, यह अभिव्यक्त होता है कि उर्वरक उद्योग का कोई भी उपभोक्ता नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग नहीं करेगा। यह भी उल्लेख किया जाता है कि उत्पाद के रूप में सोडियम नाइट्रेट उर्वरक नियंत्रण आदेश के अंतर्गत कवर नहीं होता है। अत: सिद्धांत रूप से यद्यपि सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग उर्वरक उद्योग में नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में किया जा सकता है, परंतु वास्तव में उर्वरक उद्योग का कोई भी उपभोक्ता सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग नहीं कर रहा है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता उर्वरक उद्योग में उपभोक्ताओं को सोडियम नाइट्रेट की बिक्री नहीं करता है। इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि यदि उर्वरक उद्योग में सोडियम नाइट्रेट की खपत होती है तो देश में इस उत्पाद की 59 प्रतिशत मांग को याचिकाकर्ता द्वारा पूरा किया जाता है, और याचिकाकर्ता ने निश्चित रूप से इन उपभोक्ताओं को उसकी भारी मात्रा की आपूर्ति की होती।

5. सोडियम नाइट्राइड को सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 31 के अंतर्गत सीमाशुल्क शीर्षक संख्या 31025000 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रुप में बाध्यकारी नही है। विचाराधीन उत्पाद के आयातों को अध्याय 28 के अंतर्गत उपशीर्षक सं. 2834 (नाइट्राइट्स एवं नाइट्रेट्स) के अंतर्गत भी रिपोर्ट किया गया है। सम्बद्ध क्षेत्रों/ देशों से निर्यातित सम्बद्ध उत्पाद तथा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सम्बद्ध उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नही है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित सम्बद्ध उत्पाद तथा सम्बद्ध क्षेत्रों/देशों से भारत में आयातित सम्बद्ध उत्पाद दोनों ही सम्बद्ध प्राचलों जैसे भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण आदि के रुप में तुलनीय है। दोनों ही तकनीकी एवं वाणिज्यिक रुप से प्रतिस्थापनीय है। उपभोक्ता इन दोनों का प्रयोग अदल-बदल कर करते है और कर रहे हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु तथा सम्बद्ध देशों से आयातित वस्तु के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। ऐसा नही है कि शुद्धता के रुप में कथित अंतर या रंग या भौतक प्रारुप में अंतर के कारण घरेलू उत्पाद को आयातित उत्पाद की तुलना में पसंद न किया जाता हो।

6. याचिकाकर्ता ने खेंपवार आयातों से संबंधित सूचना डीजीसीआई एंड एस से एकत्र की है तथा उसी का उसने उल्लेख किया है जिसमें प्रत्येक खेंप के लिए मद का विवरण स्पष्ट रूप से दिया गया है। खेंपवार आयात आंकड़ों में अभिज्ञात उत्पाद की परिशुद्धता के बारे में कोई संदेह नहीं है। चूंकि याचिकाकर्ता ने खेंपवार आयातों को अपनाया है इसलिए यह तथ्य पूर्णतया असार है कि जांच तथा प्रस्तावित साधन के लिए सीमाशुल्क शीर्षक व्यापक है।

7. नियमों में यह अपेक्षा की जाती है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी उत्पाद का एक ऐसा विवरण विशेषीकृत करेंगे जो सीमाशुल्क प्रयोजनों के लिए पर्याप्त हो। यह निर्विवाद है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उत्पाद विवरण को विशेषीकृत किया है जो सीमाशुल्क प्रयोजनों के लिए पर्याप्त है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमाशुल्क वर्गीकरण को केवल सीमाशुल्क सुविधा के लिए ही विशेषीकृत किया है ताकि पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण समुचित रूप से किया जा सके। किसी भी हितबद्ध पक्षकार का यह तर्क नहीं है कि किसी ऐसे उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण किया जा रहा है जो उत्पाद दायरे के अंतर्गत कवर नहीं होता है।

ग.2 निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं, प्रयोक्ताओं तथा अन्य विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के विचार

8. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद तथा इसके दायरे के सम्बंध में निम्नलिखित मुद्दे उठाए हैं:

(i) बुल्गारिया, चीन और उक्रैन द्वारा उत्पादित सामग्री तथा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामग्री के बीच तकनीकी विनिर्देशनों में अंतर है। बुल्गारिया और चीन से प्राप्त सामग्री क्रिस्टल रूप में है जबकि घरेलू उद्योग इसका उत्पादन पाउडर रूप में करती है। इसके अतिरिक्त, इन देशों से आयातित उत्पाद तथा घरेलू रूप से उत्पादित उत्पाद के रंग और उसकी शुद्धता में भी अंतर है।

(ii) सोडियम नाइट्रेट ($एनएएनओ_3$) के दो ग्रेड है-तकनीकी/ औद्योगिक एवं उर्वरक/ उर्वरक ग्रेड। इसके एच एस कोड तथा वीएटी (मूल्यवर्द्धित बिक्री कर) की दर में भी अंतर है। इसके सीमा शुल्क में भी अंतर है। इसके अनुप्रयोग में भी अंतर है। तकनीकी/ औद्योगिक ग्रेड का एच एस कोड 28341010 है। बिक्री कर 5 प्रतिशत वीएटी है। इसके आयातों पर 7.5 प्रतिशत मूलभूत शुल्क, 2 प्रतिशत उपकर और 1 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक उपकर है। इसका प्रयोग उर्वरक/उर्वरक ग्रेड में नहीं किया जाता है। उर्वरक/उर्वरक ग्रेड का एच एस कोड 31025000 है। बिक्री कर 12.5 प्रतिशत वीएटी है। इस पर कोई मूलभूत शुल्क, उपकर और उच्चतर माध्यमिक उपकर नहीं है। इसे तकनीकी/ औद्योगिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है।

(iii) शीर्ष 2834 (नाइट्राइट और नाइट्रेट्स) काफी व्यापक है। सोडियम नाइट्रेट उप-शीर्षक संख्या 283429 (अन्य नाइट्रेट्स) का भाग हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप यह कोड 28342990 (अन्य नाइट्रेट्स) के अंतर्गत आ सकता है।

(iv) उक्रैन के पक्ष ने इस उत्पाद का अभिज्ञान करने के लिए यथासंभव अधिकतम सीमा तक कोड और व्याख्याकृत विवरण का प्रयोग करने पर जोर दिया है।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

9. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकार ने निर्यातक/आयातक प्रश्नावली के रूप में कोई प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है। यह दावा किया गया है कि चीन, बल्गारिया और उक्रैन से आयातित उत्पाद की शुद्धता बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त, आयातित उत्पाद और घरेलू उत्पाद भौतिक रूपों में अलग-अलग हैं। आयातित उत्पाद क्रिस्टल रूप में है वही घरेलू उत्पाद पाउडर रूप में है। यह दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूरित सामग्री का रंग आयातित सामग्री के रूप से भिन्न है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि इन उपभोक्ताओं की प्रकृति के सम्बंध में प्राधिकारी को कोई सूचना प्रदान नहीं कराई गई जिनके लिए आयातित उत्पाद की बिक्री की गई, और न ही भौतिक रूप या शुद्धता या रंग में भिन्नता के प्रभाव का ही परिमाणीकरण किया गया। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि भौतिक रचना या शुद्धता या रंग में अन्वर से यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि घरेलू उत्पाद आयातित उत्पाद से भिन्न है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उत्पाद आयातित उत्पाद का एक समान उत्पाद है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि ऐसी टिप्पणियां करने वाले विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगकर्ता के रूप में माना जाए।

10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह सिद्ध नहीं किया गया है कि शुद्धता, भौतक रूप या रंग में अंतर से घरेलू उत्पाद आयातित उत्पाद से भिन्न उत्पाद नहीं बन जाता है। हितबद्ध पक्षकारों ने कथित अंतर का इस उत्पाद की लागत और कीमत पर पड़ने वाले प्रभाव की भी गणना नही की है।

11. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह भी दावा किया गया है कि उर्वरक और तकनीकी/ औद्योगिक ग्रेड दोनो का ही भारत में आयात किया गया है। इसके अतिरिक्त, उर्वरक ग्रेड का आयात 0.0 प्रतिशत आधारभूत सीमा शुल्क पर किया गया है, वहीं तकनीकी/ औद्योगिक अनुप्रयोगों के अंतर्गत रिपोर्ट किए गए आयातों पर संपूर्ण सीमा शुल्क प्रभारित किया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान कराई गई यह सूचना केवल तथ्यात्मक किस्म की है जिसमें विचाराधीन उत्पाद के दायरे के एक रूप या अन्य रूप को अपवर्जित करने का कोई विशेष दावा नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया है कि यद्यपि इस उत्पाद का प्रयोग उर्वरक उद्योग में नाइट्रोजन के एक स्रोत के रूप में किया जा सकता है परंतु उन्होंने इसका

प्रयोग न तो इस उत्पाद की खपत उर्वरक अनुप्रयोगों के लिए किया है और न ही उसकी बिक्री उपभोक्ताओं के लिए की है क्योंकि यह लागत प्रभावी नहीं है।

12. यह नोट किया जाता है कि सोडियम नाइट्रेट अध्याय 31 के समर्पित वर्गीकरण संख्या 31025000 के अंतर्गत आता है और उस पर शून्य सीमा शुल्क दर लगती है। इसके अतिरिक्त, इस उत्पाद के आयातों को अध्याय 28 के अंतर्गत उपशीर्षक सं. 2834 के अंतर्गत भी रिपोर्ट किया गया है।

13. इस तर्क के संबंध में कि यह उत्पाद अन्य नाइट्रेट्स की श्रेणी के अंतर्गत आता है, यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त खेंपवार आयात आंकड़ों को अपनाया है। संपूर्ण आंकड़ों से इस उत्पाद का अभिज्ञान करने के लिए प्रत्येक खेंप का विश्लेषण किया गया है। इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता है कि किसी अन्य नाइट्रेट को विचाराधीन उत्पाद के रूप में शामिल किया जा रहा है।

14. कोड और विवरण का प्रयोग करने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि नियम में उत्पाद के उस संपूर्ण विवरण का प्रयोग करने का प्रावधान है जो सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ तथा क्षति एवं पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए संगत हो।

15. अत:, प्राधिकारी यह धारित करते हैं कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सोडियम नाइट्रेट है। सोडियम नाइट्रेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका गुणसूत्र एनएएनओ$_3$ है। इस लवण को चिली साल्टपीटर अथवा पेरु साल्टपीटर के रूप में भी जाना जाता है, यह जल में घुलनशील एक सफेद ठोस होता है। इसके मिनरल रूप को नाइट्रेटाइन, नाइट्रेटाइट या सोडा नाइटर के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम नाइट्रेट को सोडियम नाइट्राइट का विनिर्माण करते समय सह उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। अमोनिया को केटालिस्ट की मौजूदगी में उच्च तापमान पर नाइट्रस आक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और तब नाइट्रस आक्साइड को सोडियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त करने के लिए कास्टिक सोडा में अवशोषित किया जाता है। परम्परागत अनुप्रयोग जिनमें सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जा सकता है, वह है उष्मा अंतरण लवण एवं फ्लक्स; पोटैशियम तथा बेरियम के अन्य विभिन्न नाइट्रेट लवणों, कृषि रसायनों, बल्क मध्यवर्तियों का विनिर्माण करना, ग्लास ब्लास्टिंग पाउडर, स्लरी, डाइनामाइट माचिसो एफएनएस तथा निष्पादन रसायनों, चर्म परिशोधन रसायनों इमेजिंग तथा रंग मध्यवर्तियों, फार्मास्युटिकल मध्यवर्तियों रबर रसायन मध्यवर्तियों का विनिर्माण करना।

16. सोडियम नाइट्राइड को सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 31 के अंतर्गत सीमाशुल्क शीर्षक संख्या 31025000 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सोडियम नाइट्रेड के आयातों को अध्याय 28 के अंतर्गत उपशीर्षक सं. 2834 (नाइट्राइट्स एवं नाइट्रेट्स) के अंतर्गत भी रिपोर्ट किया गया है। तथापि, यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है। प्राधिकारी इस विचाराधीन उत्पाद के दायरे में अध्याय 31 या अध्याय 28 के अंतर्गत रिपोर्ट किए गए सोडियम नाइट्रेट के सभी आयातों को शामिल करने का प्रस्ताव करते हैं।

<u>समान वस्तु</u>

17. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अंतर्गत समान वस्तु को निम्नवत परिभाषित किया गया है:-

"समान वस्तु से आशय उस वस्तु से है जो भारत में पाटित की जा रही जांच के अधीन वस्तु से सभी प्रकार से समान या समरूप हो अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में कोई अन्य वस्तु, जो यद्यपि सभी तरह से समान न हो, फिर भी उसमें जांच की णअधीन वस्तु के सभी गुणधर्म निकट से प्रदर्शित होनी चाहिए।"

18. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध क्षेत्र/देशों से निर्यातित संबद्ध उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध उत्पाद और संबद्ध क्षेत्र/ देशों से निर्यातित संबद्ध उत्पाद दोनों में कुछ निश्चित पैरामीटरों जैसे भौतिक एवं रसायनिक गुणधर्म, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण आदि के रूप में तुलनीय है। दोनों ही तकनीकी एवं वाणिज्यिक रुप से प्रतिस्थापनीय है। उपभोक्तागण इन दोनों का अदल-बदल कर प्रयोग करते हैं (और कर रहे है)।

19. प्राधिकारी ने इस मामले की जांच की है और नोट करते हैं कि संबद्ध क्षेत्र/देशों से निर्यातित संबद्ध उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध उत्पाद और संबद्ध क्षेत्र/देशों से निर्यातित संबद्ध उत्पाद दोनों में कुछ निश्चित पैरामीटरों जैसे भौतिक एवं रसायनिक गुणधर्म, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं

प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण आदि के रूप में तुलनीय है। दोनों ही तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है। किसी भी विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं की है। उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को पाटनरोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध क्षेत्र से आयातित विचाराधीन उत्पाद को समान वस्तु के रूप में मानते है।

घ) घरेलू उद्योग का दायरा एवं आधार

20. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नवत परिभाषित किया गया है:-

"(ख) "घरेलू उद्योग" का आशय समान वस्तु के विनिर्माण या उससे संबंधित किसी अन्य क्रियाकलाप में समग्र रूप से लगे उन सभी घरेलू उत्पादकों अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के समस्त घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात बनता हो, सिवाय इसके कि यदि ये उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हो पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हों अथवा उसके स्वयं आयातक हो तो ऐसे मामलों में वाक्यांश ''घरेलू उद्योग'' को केवल शेष उत्पादकों के रूप में माना जाएगा।"

घ.1. निर्यातकों/ आयातकों/ प्रयोक्ताओं और अन्य विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के विचार

21. इस संबंध में उक्रैन के आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्रालय, जिसने घरेलू उद्योग के आधार के संबंध में अपनी टिप्पणियां निम्नवत प्रस्तुत की है, को छोड़कर किसी भी अन्य निर्यातक/ आयातक/ प्रयोक्ता अथवा अन्य विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में कोई विस्तृत प्रस्तुतिकरण नहीं किया गया है:-

क. घरेलू उद्योग की याचिका के अनुसार घरेलू उद्योग सोडियम नाइट्रेट के कुल भारतीय उत्पादन का लगभग 81 प्रतिशत उत्पादन करता है; राष्ट्रीय केमिकल्स एवं एनएफएल इसके दो अन्य उत्पादक भी है। त्रिवेणी केमिकल्स, सुविधि इंडस्ट्रीज, पेरी नाइट्रेट प्रा. लिमिटेड और निकुंज केमिकल्स जैसे अन्य उत्पादक भी हैं। इस प्रकार जांचकर्ता प्राधिकारी इस याचिका के लिए समर्थन की डिग्री का निर्धारण कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि क्या यह याचिका घरेलू उद्योग द्वारा या घरेलू उद्योग की ओर से की गई है।

22. राजस्थान एक्सप्लोसिव्ज एंड केमिकल्स लिमिटेड, धौलपुर, राजस्थान ने घरेलू उद्योग और इसके दायरे के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है और प्रस्तुत किया है कि वे सोडियम नाइट्रेट के प्रयोक्ता है और उन्होंने वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 की अवधि के दौरान इस सामग्री की खरीद करने के लिए विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को क्रय आदेश दिये थे। उन्होंने आर्डर की गई मात्रा और खरीद के स्रोत के संबंध में विस्तृत विवरण दिया है। आगे, उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने इस मद का आयात 18 जुलाई, 2013 तक नहीं किया है और इसकी खरीद केवल स्वदेशी विनिर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं से ही की है।

घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

23. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किये हैं:-

(i) यह याचिका मैसर्स दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, पुणे द्वारा दायर की गई है। इस उत्पाद के जांच की अवधिके दौरान भारत में दो अन्य ज्ञात उत्पादक भी हैं, नेशनल कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा राष्ट्रीय फर्टिलाइजर्स लिमिटेड।

(ii) याचिकाकर्ता का उत्पादन जांच की अवधि के दौरान भारतीय उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा बनता है।

(iii) याचिकाकर्ता नियमावली के अंतर्गत घरेलू उद्योग है।

(iv) यह याचिका मैसर्स दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, पुणे द्वारा दायर की गई है, जिसका उत्पादन भारतीय उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा है। इस याचिका का किसी ने भी विरोध नहीं किया है। अभिज्ञात कोई भी कंपनी, वास्तव में, सोडियम नाइट्रेट का उत्पादन नहीं करती है। तथापि, यह संभव है कि इनमें से कुछ कंपनियां विचाराधीन उत्पाद का व्यापार

करती हैं। किसी मामले में, इन कंपनियों के उत्पादन को उतना अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है जिससे नियमों के अंतर्गत याचिकाकर्ता का उत्पादन इतना अपर्याप्त हो की उसका आधार ही खत्म हो जाए।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

24. वर्तमान मामले में मैसर्स दीपक नाइट्राइट लिमिटेड ने यह आवेदन पत्र यह आरोप लगाते हुए दायर किया है कि यूरोपियन यूनियन, चीन जन.गण., उक्रैन और कोरिया आरपी के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'सोडियम नाइट्रेट' का पाटन हो रहा है और उस पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने का अनुरोध किया है। इस कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान अथवा क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से अथवा अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। याचिकाकर्ता नियमावली के आशय के अंतर्गत पात्र घरेलू उद्योग है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस मुद्दे पर उक्रैन के आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्रालय के अलावा कोई टिप्पणी नहीं की है। उक्रैन द्वारा की गई टिप्पणी की जांच की गई है। उक्रैन सरकार ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक के रूप में कई अन्य कंपनियों को अभिज्ञात किया है। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि यह सभी कंपनियां, हो सकता है कि, सोडियम नाइट्रेट का व्यापार करती हो परंतु वे सोडियम नाइट्रेट की उत्पादक नहीं है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते है कि उक्रैन की सरकार ने इस बात का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो यह दर्शात हो कि उनके द्वारा अभिज्ञात यह अन्य कंपनियां वास्तव में भारत में सोडियम नाइट्रेट का उत्पादन करती है। तथापि प्राधिकारी ने उक्रैन की सरकार द्वारा अभिज्ञात इन कंपनियों से यह जानकारी सीधे ही मांगी थी। निकुंज केमिकल्स, वडोदरा को छोड़कर किसी भी अन्य कंपनी ने प्राधिकारी को कोई जवाब नहीं दिया। निकुंज केमिकल्स वडोदरा ने प्रत्युत्तर दिया कि वे इस उत्पाद का विनिर्माण नहीं करते प्राधिकारी ने भारतीय उत्पादकों और विचाराधीन उत्पाद का उनके द्वारा उत्पादन/ बिक्री विवरण के संबद्ध में संगत जानकारी उनके प्रशासनिक मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार से भी मांगी थी। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने भी देश में सोडियम नाइट्रेट का उत्पादन करने वाली कंपनियों की पहचान के संबंध में कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह भी सिद्ध नहीं किया गया है कि उक्रैन की सरकार द्वारा अभिज्ञात अन्य कंपनियां वास्तव में विचाराधीन उत्पाद की उत्पादक कंपनियां हैं। रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य यह स्पष्ट नहीं करता है कि यह कंपनियां नियमावली के नियम 2(ख) के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग हैं।

25. जांच की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता का उत्पादन भारतीय उत्पादन का 80 प्रतिशत हिस्सा बनता है। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी यह निर्धारित करते है कि जांच की अवधि के दौरान आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा अनुपात हैं और यह याचिका घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई है। तथ्यों की जांच करने के पश्चात प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निर्धारित करते है कि याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग है और याचिकाकर्ता प्रमुख नियम के नियम 5 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार आधार की प्रक्रिया को संतुष्ट करता है।

ड. विविध मुद्दे

ड.1 निर्यातकों/ आयातकों/ प्रयोक्ताओं और अन्य विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के विचार

26. उक्रैन के आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्रालय ने यह मुद्दा उठाया कि विश्लेषण के लिए आकलन की अवधि का निर्धारण वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 के लिए किया गया है और जांच की अवधि अक्तूबर, 2011 से दिसम्बर, 2012 है। चूंकि जांच की अवधि 12 माह से अधिक है इसलिए जांच की अवधि के देशनांकों की तुलना अन्य वर्षों के देशनांकों से नहीं की जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया है कि ''याचिकाकर्ता ने विचाराधीन उतपाद का कोई निर्यात नहीं किया''। परन्तु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र के अनुसार भारत से सोडियम नाइट्रेटका निर्यात हुआ था और दीपक नाइट्राइट निर्यातक कंपनी में से एक है।

27. स्काट ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कोई प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया परंतु केवल कुछ निश्चित प्रस्तुतिकरण किये कि याचिकाकर्ता मैसर्स दीपक नाइट्रेट लिमिटेड नियमित रूप से संबद्ध वस्तु की कीमतें बढ़ा रहा है और पिछले तीन वर्षों में मूल कीमत 900 रुपये प्रति मी.टन तक बढ़ी है जो लगभग 39 प्रतिशत है और यदि कीमतों में इस तरह की वृद्धि जारी रही तो स्काट ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अपने परिष्कृत उत्पाद की प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने और घरेलू भेषज कंपनियों की वहनीयता बनाये रखने के लिए इस उत्पाद को किसी अन्य प्रतिस्पर्धी बाजार (घरेलू /समुद्र पारीय) से प्राप्त करने की जरुरत होगी। पाटनरोधी शुल्क की छत्रछाया में विनिर्माताओं को अपनी कीमते बढ़ाने का अवसर मिल जायेगा और साथ ही गुणवत्ता मानक भी

घट जायेगा। इसलिए प्राधिकारी यह सत्यापित कर सकते है कि कीमत वृद्धि को रोकने के लिए घरेलू विनिर्माताओं द्वारा क्या उपाय किया जा सकता है।

28. संदीप आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने यह मुद्दा उठाया है कि एनइओसीएचआईएम पीएलसी बलगारिया में इसका विनिर्माता है। फार्टिकल साइप्रस लिमिटेड इसका निर्यातक है। बलगारिया की कीमत 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान करने पर नेवा शेवा सीएफआर पर 450 अमेरिकी डालर प्रति मी.टन है।

29. उक्रैन के आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्रालय ने यह प्रश्न उठाया कि जांच शुरूआत की तारीख से पहले खपत के लिए दर्ज उत्पाद पर शुल्क का पूर्वव्यापी प्रभाव से उद्ग्रहण नहीं किया जा सकता है। अत:, क्षति के प्रारंभ से पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के संबंध में आवेदक के दावे का कोई विधिक आधार नहीं है।

30. उक्रैन के आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्रालय ने यह मुद्दा उठाया है कि आवेदक का यह विवरण कि कंपनियों ने इस जांच में इसलिए भाग नहीं लिया क्योंकि पाटन आपूर्तियां निराधार हैं और साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। अत:, उक्रैन के निर्यातकों की इस जांच में कोई रूचि नहीं है क्योंकि उन्होंने भारत को इस वस्तु की आपूर्ति लंबे समय तक नहीं की। विशेष रूप से मंत्रालय को उक्रैन के जेएससी द्वारा उपर्युक्त कथन के बारे में सूचित किया गया था।

ड.2 घरेलू उद्योग के विचार

31. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए है:

(i) इस बात पर विचार करते हुए कि जांच अवधि 15 माह की है, याचिकाकर्ता ने विगत वर्ष से तुलना को सुकर बनाने के लिए आंकड़ों का ''वार्षिकीकरण'' कर दिया है।

(ii) बुल्गारिया में कंपनी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त, याचिका में उल्लिखित जानकारी स्पष्टत: यह दर्शाती है कि बल्गारिया से आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से वास्तव में कम है।

(iii) घरेलू उद्योग अपनी कीमतों का निर्धारण करने के लिए दो पैरामीटरों पर विचार करती है। यद्यपि घरेलू उद्योग कच्चे माल एवं अन्य उपयोगी वस्तुओं की कीमत के कारण लागत में परिवर्तन की बजह से कीमत को फिर से संगठित करने का प्रयास करता है, परंतु विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत की जा रही कीमतों के कारण घरेलू उद्योग ऐसा करने के लिए लाचार हो जाता है। क्षति अवधि के दौरान कच्चे माल और अन्य उपयोगी वस्तुओं की कीमत के कारण लागत में भारी वृद्धि हुई है क्योंकि इन प्रमुख कच्चे माल और उपयोगी वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं। इसके परिणामी स्वरूप घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद की अपनी कीमतें बढ़ाने के लिए लाचार होना पड़ा। तथापि, घरेलू उद्योग को कच्चे माल की लाभ में वृद्धि के अनुपात से अपनी कीमतों में बढ़ोत्तरी करना उचित था, परंतु घरेलू उद्योग को कच्चे माल तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी की सीमा तक अपनी कीमतों वृद्धि करने से रोका गया। वास्तव में, कीमत में यह बढ़ोत्तरी कच्चे माल की कीमत में हुई वृद्धि से काफी कम थी।

(iv) इस बिन्दु के संबंध में कि इस जांच की शुरूआत की तारीख से पहले खपत के लिए दर्ज उत्पाद पर पूर्वापेक्षी प्रभाव से शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया जा सकता है, याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने भी ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है।

(v) यह तर्क कि निर्यातकों ने इसलिए सहयोग नहीं किया क्योंकि उन्होंने भारत को इस वस्तु की आपूर्ति काफी लंबे समय तक नहीं की और विधि के अंतर्गत उसका कोई महत्व नहीं है। नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे निर्यातकों को असहयोगकर्ता निर्यात के रूप में माने, जिसने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है। यह न केवल भारत में एक विधिक स्थिति है बल्कि यह संपूर्ण विश्व में एक विधिक स्थिति है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

32. प्राधिकारी ने उपर्युक्त मुद्दे की जांच की है और यह नोट करते हैं कि उक्रैन सरकारके इस तर्क के संबंध में कि जांच की अवधि 12 माह से अधिक की अवधि की है यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने जांच की अवधि के आंकड़ों की तुलना जांच की अवधि के लिए आंकड़ों का वार्षिकीकरण करके की है। यह प्राधिकारी की उन मामलों में एक संगत परम्परा रही है जहां जांच की अवधि बारह माह से कम या अधिक होती है।

33. याचिका में इस दावे के संबंध में कि ''याचिकाकर्ता ने विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है'', प्राधिकारी यह नोट करते है कि याचिका के प्रपत्र IVक में याचिकाकर्ता ने क्षति अवधि के दौरान विचारधीन उत्पाद के निर्यातों को दर्शाया है और प्राधिकारी ने उस पर उचित ध्यान दिया है।

34. स्काट ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और संदीप आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उठाए गए कीमतों में बढ़ोत्तरी के मुद्दे के संबंध में यह नोट किया जाता है कि यद्यपि घरेलू उद्योग ने अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि की थी परंतु इसकी कीमतों में यह वृद्धि उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण हुई है। पुन: यह नोट किया जाता है कि उत्पादन लागतमें यह वृद्धि इनपुट कीमतों में वृद्धि के कारण हुई है। वास्तव में,यह उत्पादित किया जाता है कि कीमत में यह वृद्धि लागत में बढ़ोत्तरी के अनुपात में नहीं हुई है। यह नोट किया जाता है कि आयात, बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का निग्रहण कर रहे हैं।

35. शुल्क के पूर्वापेक्षी प्रभाव से अधिग्रहण करने के तर्क के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पूर्वापेक्षी आधार पर शुल्क का अधिरोपण करने की प्राधिकारी की कोई परम्परा नहीं है।

36. यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी नियम 6(8) के अनुरूप उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हैं। चूंकि किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने निर्यातक प्रश्नावली में कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है इसलिए प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर इस जांच का आयोजन किया है।

च. पाटन का आकलन-क्रियाविधि एवं पैरामीटर्स

<u>पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए क्रियापद्धति</u>

च.1 सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

37. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपियन यूनियन, चीन जन.गण, उक्रैन और कोरिया आरपी के किसी भी निर्यातक/ उत्पादक ने निर्धारित स्वरूप और प्रपत्र में निर्यातक प्रश्नावली दायर करके जांच शुरुआत अधिसूचना का प्रत्युत्तर नहीं दिया है और केवल उक्रैन के आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्रालय ने ही इस संबंध में प्रस्तुतिकरण किया है।

च2. घरेलू उद्योग के विचार

38. घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि चीन जन.गण को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना जाए उन्होंने इस संबंध में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उल्लेख किया है:-

(i) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा ऐसी स्थिति में नहीं दिया जा सकता है जहां एक प्रमुख शेयर धारक राज्य स्वामित्व/ नियंत्रित निकाय हो। यूरोपियन आयोग ने निरंतर यह धारित किया है कि जिन मामलों में राज्य स्वामित्व/ नियंत्रित निकाय का भारी हिस्सा होता है उनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। यह मामला केवल विगत में किये गये हस्तक्षेपों से संबंधित नहीं है परंतु पाटन रोधी शुल्क का अधिरोपण करने, जो बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान करने के लिए एक संगत तरीका है, के पश्चात भविष्य में भी राज्य द्वारा हस्तक्षेप किये जाने की संभावना बनी रहेगी।

(ii) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक प्रत्युत्तर दाता चीन के निर्यातक यह सिद्ध नहीं कर देते हैं कि बड़े-बड़े इनपुटों की कीमत बाजार मूल्यों को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करती है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि ''पर्याप्त रूप से प्रतिबिम्बित मूल्यों'' की व्यापक व्याख्या की गई है जिसका आशय यह है कि इन इनपुटों

की कीमत अंतराष्ट्रीय बाजार में प्रचलित कीमतों से तुलनीय होनी चाहिए। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि यह तथ्य कि यह कीमतें चीन जन.गण में प्रचलित कीमतों से तुलनीय है, पूरी तरह से अपर्याप्त है।

(iii) बड़े इनपुटों में उपयोगी वस्तुएं शामिल होती है: घरेलू उद्योग यह तर्क देता है कि संबंधित उत्पादों का उत्पादन करने के लिए प्रमुख उपयोगी वस्तु के रूप में बिजली और ईंधन की जरुरत होती है। स्पष्टत:, जब विद्युत आपूर्तिकर्ता राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी होती है तो ईंधन आपूर्ति कर्ता के संबंध में अपर्याप्त जानकारी ही उपलब्ध हो पाती है।

(iv) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है कि जब तक कि प्रत्युत्तर दाता निर्यातक यह सिद्ध नहीं कर देते है कि उनकी बहियों का अंकेक्षण अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानकों के अनुरूप किया गया है। घरेलू उद्योग यह तर्क देता है कि चीन के निर्यातकों ने यूरोपियन कमीशन के उस व्यवहार का बार-बार विरोध किया है जिसमें उसने चीन को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा ऐसी स्थिति में देने से मना कर दिया जहां चीन के निर्यातक यह सिद्ध करने में अक्षम है कि उनकी बहियां चीन के जीएएपी से संगत है। ऐसे मामलों में चीन की कंपनियों ने तर्क दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानकों के अनुपालन पर जोर देने की जरुरत विधि से परे है। यूरोपियन कमीशन ने यह धारित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानकों का अनुपालन किये जाने पर जोर देने से वार्षिक रिपोर्ट में अभिव्यक्त राजस्व एवं व्ययों, परिसंपत्तियों और देयताओं की यर्थाथता एवं परिशुद्धता सुनिश्चित हो जाती है। यूरोपियन कमीशन का उदाहरण देते हुए यह कहा जा सकता है कि इस पहलु के संबंध में लेखाओं की विश्वसनीयता तब तक स्थापित नहीं की जा सकती है कि जब तक कि वे अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानकों से संगत ना हो।

(v) यदि एक भी पैरामीटर पूरा नहीं होता है तो भी बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दिया जा सकता है: घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया कि यूरोपियन कमीशन ने बार-बार यह जोर दिया है कि बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब नहीं दिया जा सकता है कि जब तक कि प्रत्युत्तर दाता चीन के निर्यातक नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रत्येक पैरामीटर के बारे में जांच को पूरा नहीं कर लेते हैं।

(vi) उत्तरदायित्व/प्रतिबद्धताएं: घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि यह सिद्ध करना प्राधिकारी का कर्तव्य नहीं होता है कि प्रत्युत्तर दाता कंपनियां वास्तव में बाजार अर्थव्यवस्था माहौल के अंतर्गत प्रचालन कर रही है और वे बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने की प्रात्र है। इसके विपरीत चीन के प्रत्युत्तर दाता निर्यातकों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे यह सिद्ध करें कि वे बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियों के अंतर्गत प्रचालन कर रहे हैं।

(vii) अंतरण: घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि ऐसी स्थिति में जहां मौजूदा शेयर धारकों ने अपनी स्वयं की उत्पादन सुविधाएं स्थापित नहीं की है परंतु उनको किसी अन्य पक्षकार से प्राप्त किया है वहां बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक कि अंतरण की प्रक्रिया को दस्तावेजी साक्ष्य के जरिए पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर दिया जाता है।

(viii) समग्र रूप से समूह से प्रत्युत्तर: घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है कि जब तक कि प्रत्युत्तर दाता कंपनी और उसका समूह समग्र रुप से दावा ना करता हो। इस समूह का भाग बनने वाली एक या अधिक कंपनियां प्रत्युत्तर दायर नहीं करती है तो बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे को इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना अस्वीकृत किया जा सकता है कि क्या इस समूह की अन्य कंपनियां विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने अथवा उसकी बिक्री करने में अंतरग्रस्त है। यह तर्क दिया गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह जांच विट्रीफाइड टाइल्स मामले की जांच में की थी जहां बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने की मांग करते हुए संपूर्ण समूह ने प्रत्युत्तर दायर किया था।

(ix) चीन के निर्यातक प्रत्युत्तर दाताओं द्वारा ऊपर उल्लिखित कई शर्तों को पूरा करने में असफल रहना यह धारित करने के लिए पर्याप्त है कि प्रत्युत्तर दाता चीन की कंपनियों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दिया जा सकता है और इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के पैरा 7 के अनुरूप किया जाना चाहिए।

39. घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उक्रैन को बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लेख किया है कि:

(i) उक्रैन के उत्पादकों को सोडा ऐश के मामले में बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान नहीं किया गया था।

(ii) उक्रैन के उत्पादकों को ऐसी कंपनियों के रूप में प्रकल्पना करने कि वे कंपनियां बाजार अर्थव्यवस्था माहौल में प्रचालन नहीं कर रही हैं, का आधार भारत और यूरोप दोनों में अलग-अलग हैं। भारत में यह सिद्ध किया जा सकता है कि डब्ल्यू टीओ के एक सदस्य देश ने उक्त देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में नियमावली के अंतर्गत निहित प्रक्रिया मूल्यांकन के आधार पर किया है।

(iii) यह सिद्ध नहीं किया गया है कि यूएस अथवा ईयू ने उक्रैन के उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा विधि के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के मूल्यांकन के आधार पर दिया है।

(iv) किसी भी मामले में, उक्रैन के किसी भी उत्पादक ने प्राधिकारी के साथ न तो सहयोग किया है कि और न ही उक्रैन के उत्पादकों ने यह सिद्ध किया है कि वर्तमान मामले में उक्रैन के उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया जाना अपेक्षित है। अत:, निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्रैन के उत्पादकों से प्राप्त प्रश्नावली प्रत्युत्तर के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं कर सकते हैं।

(v) घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वह यूरोपियन यूनियन, उक्रैन और कोरिया आरपी की घरेलू बाजारों में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों की कीमत सूची या कोटेशन जैसे साक्ष्य/ सूचना एकत्र नहीं कर सके क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में संगत सूचना उपलब्ध नहीं थी और इसलिए उन्होंने यूरोपियन यूनियन, उक्रैन और कोरिया आरपी से आयातों के मामलें में सामान्य मूल्य का विनिर्माण किया है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने इस जांच की प्रक्रिया के दौरान प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

(vi) यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्रैन को विनिर्दिष्ट मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान किया गया है। ऐसा मामला होने पर निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह वर्तमान मामले में बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान करे।

(vii) भारत सरकार ने नियमावली में कोई परिवर्तन नहीं किया है। जब तक नियमों में संशोधन नहीं किया जाता है, तब तक निर्दिष्ट प्राधिकारी से वर्तमान नियमों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है। जहां तक उक्रैन की सरकार द्वारा उल्लिखित किए गए करार का संबंध है, वह वर्तमान जांच के अभिलेख का एक भाग नहीं है। निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी ऐसी सूचना को अंगीकार नहीं कर सकते हैं जो इस जांच का एक भाग नहीं है। हर हाल में घरेलू उद्योग को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर प्रदान करना अपेक्षित होता है। याचिकाकर्ता यह उम्मीद करता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी ऐसे दस्तावेज को नहीं अपनाएंगे जिस तक घरेलू उद्योग की पहुंच नहीं है, अन्यथा यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगा।

च.3 उक्रैन के आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्रालय के विचार

40. वर्तमान जांच में उक्रैन को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है। उक्रैन से सोडा ऐश के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच के मामले में उक्रैन के प्राधिकारियों ने भारतीय पक्ष को ऐसी सामग्री प्रदान की है जिससे यह संपुष्टि होती है कि उक्रैन को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा भारतीय विधि के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त यूरोपीय समुदाय ने उक्रैन की अर्थवयवस्था को 30.12.2005 से बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे को मान्यता ईयू के परिषद विनियम सं. 2117/2005 [इयू के शासकीय पत्र में दिनांक 23.12.2005 को प्रकाशित सं.एल340/17] के अनुसार दी है और उक्रैन को गैर बाजार अर्थव्यवस्थाओं की सूची से हटा दिया गया था। इसके अतिरिक्त बाजार अर्थव्यवस्था का आकलन करने का ईयू का मानदंड भारतीय विधि में विनिर्दिष्ट मानदंडों के समान ही है। इसके साथ-साथ यूएस ने उक्रैन को बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश का दर्जा वर्ष 1930 के यूएस प्रशुल्क अधिनियम के अनुच्छेद 771.18 में परिभाषित मानदंडों के अनुरूप दिया है। उक्रैन को बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश का दर्जा प्रदान किये जाने के निर्णय को संयुक्त राज्य के फैडरल रजिस्टर में 02.24.2006 के संख्या 37 में प्रकाशित किया गया था। भारतीय विधि के प्रावधानों के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी को उक्रैन को बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में मानने पर विचार करना पड़ा।

41. उक्रैन के पक्ष द्वारा प्रदान कराई गई सूचना यह दर्शाती है कि अधिकांश विकसित देश उक्रैन को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानते हैं।

42. इस जांच के ढांचे के अंतर्गत उक्रैन-भारत अंतरसरकारीय व्यापार – आर्थिक, वैज्ञानिक-तकनीकी, औद्योगिक एवं सांस्कृतिक सहयोग आयोग के पांचवे सत्र के दौरान किए गए करार के अनुसार और उक्रैन के पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किए गए अध्ययन के आधार पर उक्रैन को बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना जाना चाहिए।

च.4 <u>प्राधिकारी द्वारा चीन जन.गण और उक्रैन के बारे में बाजार अर्थव्यवस्था दावे की जांच</u>

43. नियम के अनुबंध-1 के पैरा 7 में प्रावधान है कि:

"गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश में कीमत या विनिर्मित मूल्य या ऐसे तृतीय देश से अन्य देशों को कीमत जिसमें भारत भी शामिल है के आधार पर किया जायेगा अथवा जहां यह संभव ना हो या किसी अन्य तर्क संगत आधार पर जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में संदत्त या देय के आधार पर, यदि जरुरी हुआ तो उसका विधिवत समायोजन करके, तर्क संगत लाभ मार्जिन शामिल करके किया जा सकता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश का चयन तर्क संगत ढंग से संबंधित देश के विकास के स्तर और प्रश्नाधीन उत्पाद के स्तर को ध्यान में रखकर किया जाएगा और चयन करते समय उपलब्ध कराई गई किसी भरोसेमंद सूचना पर भी उचित ध्यान दिया जायेगा। निश्चित समय के अंतर्गत, जहां किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश के बारे में किसी समान मामले में की गई जांच पर भी उचित ध्यान दिया जाएगा। पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश के उपयुक्त चयन में हुए किसी अतर्कसंगत विलम्ब के बिना सूचित किया जाएगा और उन पर अपनी टिपपणियां देने के लिए उन्हें पर्याप्त समय दिया जायेगा।"

44. इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट संगत उपबंध निम्नलिखित हैं:

8. (1) "गैर बाजार अर्थव्यवस्था देश" वाक्यांश का आशय किसी ऐसे देश से होता है जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी यह निर्धारित करते है कि वह लागत अथवा कीमत निर्धारण ढांचे के बाजार सिद्धांतों के अनुरूप प्रचालन नहीं कर रहा है, जिससे कि इन देशों में पण्य की बिक्री पण्य के उचित मूल्य का प्रदर्शन उप-पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुरूप नहीं हो रहा है।

(2) यह पूर्वधारणा होगी कि कोई देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अथवा इस जांच से तीन वर्ष पहले की अवधि के दौरान डब्ल्यू टी ओ के किसी सदस्य देश के सक्ष्म प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजन के लिए गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है अथवा ऐसा होना निर्धारित किया गया है तो उसे गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना जायेगा। तथापि शर्त यह है कि गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश की संबंधित फर्म इस पूर्व धारणा का निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसी सूचना और साक्ष्य देकर खंडन कर सकता है जो यह स्थापित करता हो कि उक्त देश उप-पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित प्रक्रिया पर विचार करेंगे कि क्या:

(क) उक्त देश में कच्चे माल, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, आउटपुट, बिक्रियों और निवेश को शामिल करते हुए कीमत लागत और इनपुट के संबंध में संबंधित फर्मों का निर्णय ऐसे बाजार संकेतकों के प्रत्युत्तर में किये गये हैं जो मांग एवं आपूर्ति को प्रतिबिंबित करते है और इस संबंध में निर्णय राज्य के हस्तक्षेप के बिना किया गया है और क्या प्रमुख इनपुटों की लागत बाजारों मूल्यों को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करती है;

(ख) इन फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली, खासकर परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास, बट्टे खाते में डाले गये अन्य, विनिमय व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति द्वारा भुगतान से की गई भारी विकृतियों के अध्यधीन होती है।

(ग) यह फर्में दिवालियापन और संपत्तियों विधियों के अध्यधीन होती है जो इन फर्मों के प्रचालन के लिए विधिक निश्चितता एवं स्थिरता की गारंटी प्रदान करती है, और

(घ) विनिमय दर परिवर्तन बाजार दरों पर किया जाता है।

तथापि, इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंडो के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य द्वारा जहां यह प्रदर्शित किया जाता है कि ऐसी एक या अधिक फर्मों के लिए पाटन रोधी जांच के अध्यधीन बाजार स्थितियां प्रचलित है वहां निर्दिष्ट प्राधिकारी पैराग्राफ 7 और इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट सिद्धांतों के बजाय पैराग्राफ 1 से 6 में निदिष्ट सिद्धांतों को लागू करेंगे।

(4) उप-पैराग्राफ (2) में उल्लिखित किसी बात के होते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में मान सकते है जो संगत मानदंडों के विस्तृत अध्ययन मूल्यांकन के आधार पर, जिसमें उप-पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंड भी शामिल है, इस मूल्यांकन को सार्वजनिक दस्तावेज में प्रकाशित करते है उन्हें विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश द्वारा पाटन रोधी जांच के प्रयोजन के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है।

45. प्राधिकारी नोट करते है कि विगत तीन वर्षों में चीन जन.गण को भारत द्वारा अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा पाटन रोधी जांच में गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है। चीन जन.गण को पाटनरोधी नियमावली में उल्लिखित शर्तों के अनुसार निर्यातकर्ता देश या व्यक्तिगत निर्यातक द्वारा इस अवधारणा का खंडन करने के अध्यधीन गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है।

46. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण के संबद्ध वस्तु के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने ना तो प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया और न ही प्राधिकारी द्वारा जारी जांच शुरुआत नोटिस के परिणाम स्वरूप दिये गये बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली का प्रत्युत्तर ही दिया गया है और न ही गैर बाजार अर्थव्यवस्था की प्रकल्पना का खंडन ही किया गया है।

47. जहां तक उक्रैन को बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में मानने के लिए उक्रैन की सरकार द्वारा दिये गये तर्क का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते है कि उक्रैन की सरकार द्वारा ऐसा कोई विस्तृत दस्तावेज प्रदान नहीं किया गया है जो यह सिद्ध करता हो कि किसी डब्ल्यू टीओ सदस्य ने पैरा 8(3) के अंतर्गत निर्धारित मानदंड मूल्यांकन का अनुसरण करके और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(4) के अंतर्गत यथापेक्षित इस मूल्यांकन को सार्वजनिक दस्तावेज में प्रकाशित करके उक्रैन को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया हो। इसके अतिरिक्त उक्रैन के किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने न तो सहयोग दिया है और न ही गैर बाजार अर्थव्यवस्था प्रकल्पना का खंडन करते हुए बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली प्रत्युत्तर ही प्रस्तुत किया है। उपयुक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने उक्रैन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर संगत नियमावली के अनुरूप किया है।

च.5 उत्पादकों एवं निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

च.5.1 चीन जन.गण के निर्यातकों/उत्पादकों के बारे में सामान्य मूल्य का निर्धारण

48. चीन जन.गण के किसी उत्पादक/निर्यातक द्वारा किसी प्रत्युत्तर के अभाव में प्राधिकारी चीन जन.गण में सामान्य मूल्य का निर्धारण अनंतिम रूप से पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के द्वितीय परंतुक में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप उपलब्ध तथ्यों के आधार पर करते हैं। तद्नुसार, विचाराधीन उत्पाद के फैक्टरी बाह्य सामान्य मूल्य का अनंतिम रूप से निर्धारण उत्पाद की विनिर्मित लागत के आधार पर, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक लागत एवं लाभ को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित करके किया गया है। इस तरह निर्धारित सामान्य मूल्य *** अमरीकी डालर/मी.टन है।

च. 5.2 ई.यू के निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण

49. विधि के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी को ई यू ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए ई यू घरेलू बाजार में खपत के लिए निर्धारित उत्पाद की बिक्री कीमत पर विचार करना अपेक्षित होता है। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि ई यू की घरेलू बाजार में प्रचलित वास्तविक बिक्री कीमत का कोई साक्ष्य नहीं है। ई यू के किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर देकर प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ई यू के किसी भी उत्पादक से विनिर्दिष्ट स्वरूप और ढंग से किसी प्रत्युत्तर के अभाव में सामान्य मूल्य का निर्धारण ई यू में किसी उत्पादक के प्रश्नावली प्रत्युत्तर के आधार पर नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्राधिकारी ने उत्पादन लागत के अनुमानों पर विचार करते हुए, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक लागत

तथा लाभ को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित करके, अनंतिम रूप से सामान्य मूल्य विनिर्मित किया। इस तरह निर्धारित सामान्य मूल्य *** अमरीकी डालर/ मी.टन है।

च.5.3 उक्रैन के निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण

50. विधि के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी को उक्रैन ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए उक्रैन घरेलू बाजार में खपत के लिए निर्धारित उत्पाद की बिक्री कीमत पर विचार करना अपेक्षित होता है। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि उक्रैन की घरेलू बाजार में प्रचलित वास्तविक बिक्री कीमत का कोई साक्ष्य नहीं है। उक्रैन के किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर देकर प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्रैन के किसी भी उत्पादक से विनिर्दिष्ट स्वरूप और ढंग से किसी प्रत्युत्तर के अभाव में सामान्य मूल्य का निर्धारण उक्रैन में किसी उत्पादक के प्रश्नावली प्रत्युत्तर के आधार पर नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्राधिकारी ने उत्पादन लागत के अनुमानों पर विचार करते हुए, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक लागत तथा लाभ को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित करके, अनंतिम रूप से सामान्य मूल्य विनिर्मित किया। इस तरह निर्धारित सामान्य मूल्य *** अमरीकी डालर/ मी.टन है।

च.5.4 कोरिया आर पी के निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण

51. विधि के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी को कोरिया आर पी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए कोरिया आर पी घरेलू बाजार में खपत के लिए निर्धारित उत्पाद की बिक्री कीमत पर विचार करना अपेक्षित होता है। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि कोरिया आर पी की घरेलू बाजार में प्रचलित वास्तविक बिक्री कीमत का कोई साक्ष्य नहीं है। कोरिया आर पी के किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर देकर प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते है कि कोरिया आर पी के किसी भी उत्पादक से विनिर्दिष्ट स्वरूप और ढंग से किसी प्रत्युत्तर के अभाव में सामान्य मूल्य का निर्धारण कोरिया आर पी में किसी उत्पादक के प्रश्नावली प्रत्युत्तर के आधार पर नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्राधिकारी ने उत्पादन लागत के अनुमानों पर विचार करते हुए, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक लागत तथा लाभ को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित करके, अनंतिम रूप से सामान्य मूल्य विनिर्मित किया। इस तरह निर्धारित सामान्य मूल्य *** अमरीकी डालर/मी.टन है।

च.6 उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

52. चूंकि संबद्ध देशों के किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी को प्रत्युत्तर नहीं दिया है इसलिए प्राधिकारी ने ईयू, चीन जन.गण, उक्रैन और कोरिया आरपी के बारे में निर्यात कीमत का अनंतिम रूप से निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर किया है। याचिकाकर्ता ने निर्यात कीमत का दावा भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों, डीजीसीआईएंडएस द्वारा रिपोर्ट किये गये के अनुसार, के आधार पर किया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने भी लेन-देन वार आयात आंकड़े डीजीसीआईएस से प्राप्त किये है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने डीजीसीआईएस से प्राप्त आंकड़ों पर विचार किया है और भारत में विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों पर विचार करते हुए निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। चीन, उक्रैन, ईयू और कोरिया आरपी के निर्यातकों से असहयोग को देखते हुए याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग द्वारा किये गये दावों के आधार पर कीमत समायोजन किया गया है। निर्यात कीमत का निर्धारण फैक्टरी बाह्य स्तर पर किया गया जैसा कि नीचे की तालिका में उल्लेख किया गया है:-

विवरण	इकाई	चीन जन.गण	कोरिया आरपी	ईयू	उक्रैन
निवल निर्यात कीमत	अमरीकी डालर/ मी.टन	***	***	***	***

च.7 <u>पार्टन मार्जिन</u>

53. ऊपर यथा निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नवत किया गया है। यह देखा जाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक और पर्याप्त है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	चीन जन.गण	कोरिया आरपी	ईयू	उक्रैन
1	सामान्य मूल्य	अमरीकी डालर/ मी.टन	***	***	***	***
2	निवल निर्यात कीमत	अमरीकी डालर/ मी.टन	***	***	***	***
3	पाटन मार्जिन	अमरीकी डालर/ मी.टन	***	***	***	***
4	पाटन मार्जिन	%	***	***	***	***
5	पाटन मार्जिन	% रेंज	40-50	35-45	65-75	55-65

क्षति का आकलन एवं कारणात्मक संबंधों की जांच

छ. क्षति

54. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किया है:

(i) प्राधिकारी को यह नोट करना चाहिए कि भारत को सोडियम नाइट्रेट के कुल आयातों में कैलेंडर वर्ष के आधार पर तीन स्रोतों अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र, यूएन कामट्रेड और भारत गणराज्य के वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार गिरावट आयी है। वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2011-12 में कुल आयातों में 48 प्रतिशत तक गिरावट आयी है। उक्रैन से आयात वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2011-12 में 82 प्रतिशत तक घटे है। वर्ष 2010-11 में उक्रैन से भारत को कोई आयात नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2013 में उक्रैन से भारत को सोडियम नाइट्रेट की आपूर्ति नहीं की गई। अत: उक्रैन से आयातों ने वर्ष 2013 में भारतीय बाजार को प्रभावित नहीं किया। उक्रैन से आयातों में तथा भारत को कुल आयातों में कोई भारी वृद्धि नहीं हुई है।

(ii) याचिका यह उल्लेख करती है कि "मांग में भारी सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित होती है"। परंतु मांग में घटने की प्रवृत्ति है। मांग में गिरावट ही वह कारण हो सकती है जिसने याचिकाकर्ता के उत्पादन और उसकी बिक्री की मात्रा को प्रभावित किया है।

(iii) याचिका में यह उल्लेख है कि याचिकाकर्ता ने विचाराधीन उत्पाद का कोई निर्यात नहीं किया है। तथापि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र की वेबसाइट के अनुसार याचिकाकर्ता निर्यातक कंपनियों में से एक है। याचिकाकर्ता ने सांख्यिकीय आंकड़ों में फेर बदल कर करके प्राधिकारी को धोखा देने का प्रयास किया है।

(iv) याचिकाकर्ता के लाभ में सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है और पिछली अवधि के दौरान उसमें 56 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। मार्च, 2009 और मार्च, 2013 के बीच प्रशासनिक व्यय में 2.7 गुणा तक भारी वृद्धि हुई है। इन व्ययों को उन अन्य कारकों के रूप में माना जाना चाहिए जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं। वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2011-12 में उत्पादन में 23.3 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2011-12 में घरेलू बिक्रियों में 24 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2011-12 में प्रतिदिन उत्पादकता में 20 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2011-12 में निर्यात में 24 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है और वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2011-12 में वेतन में 2 गुणा वृद्धि हुई है।

(v) उपयुक्त पर विचार करते हुए भारत को सोडियम नाइट्रेट के उक्रैन से होने वाले आयातों पर पाटन रोधी शुल्क का अधिरोपण करना पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में उचित नहीं होगा।

(vi) क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान संबंधित देशों से भारत गणराज्य में सोडियम नाइट्रेट (कोड 31025000 सहित) के आयातों में कमी आई है।

(vii) वर्ष 1994 के करार के अनुच्छेद 5 के अनुसार जांच के अध्यधीन वस्तु के आयातों तथा घरेलू उद्योग के बीच क्षति का कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

55. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किया है :

क) संबद्ध आयातों में समग्र रूप से भारी वृद्धि हुई है।

ख) संबद्ध आयातों में कुल आयात और भारत में खपत तथा उत्पादन के संबंध में वृद्धि हुई है।

ग) संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का अधोरदन पर्याप्त सीमा तक कर रहे हैं।

घ) कीमत अधोरदन ने घरेलू उद्योग को कीमतें बढ़ाने से रोक रखा है। आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का निग्रहण कर रहे हैं।

ड.) उत्पादन, घरेलू बिक्रियों, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सा, मालसूची, लाभ, निवेश पर अर्जन और नकद लाभ के रूप में घरेलू उद्योग के निष्पादन में बहुत अधिक सीमा तक गिरावट आयी है।

च) पाटित आयातों की मात्रा में और अधिक वृद्धि होने की चुनौती है जो यदि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण नहीं किया गया तो, घरेलू उद्योग को हो रही क्षति को और अधिक बढ़ा देगी।

छ) इस बात पर विचार करते हुए कि जांच की अवधि 15 माह के लिए है याचिकाकर्ता ने विगत वर्ष से तुलना करने के लिए आंकड़ों को "वार्षिकीकृत" कर दिया है।

ज) क्षति का संचयी आकलन उपयुक्त है कतिपय अवधि में कतिपय देश से आयात मात्रा अधिक थी और उसी देश से कतिपय अन्य अवधि में आयात मात्रा कम थी। उक्रैन के मामले में वर्ष 2009-10 में कुल आयातों में उक्रैन का हिस्सा बहुत अधिक था जबकि वर्ष 2010-11 में वहां से कोई आयात रिपोर्ट नहीं किये गये हैं। तत्पश्चात, उत्तरवर्ती दो वर्षों में उक्रैन से आयातों के हिस्से में भारी वृद्धि हुई है। अत: विभिन्न देश भारतीय बाजार में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जांच की अवधि में उक्रैन भारतीय बाजार में इस उत्पाद का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता था। वास्तव में उक्रैन से आयात व्यक्गित रूप से देश में उत्पादों के कुल आयात का एक मात्र भारी हिस्सा बनते है।

झ) उक्रैन सरकार ने चुनिंदा रूप से वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2011-12 में उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्रियों, उत्पादकता, निर्यात और वेतन में वृद्धि की तुलना की है। प्रस्तुत की गई सूचना से यह देखा जा सकता है कि उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्रियों और उत्पादकता में जांच की अवधि में पहले वृद्धि हुई और फिर गिरावट आयी।

ञ) याचिकाकर्ता द्वारा रिपोर्ट किए गए आयात आंकड़े देश में इस उत्पाद के खेंपवार आयातों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, ऐसा प्रतीत होता है कि उक्रैन की सरकार द्वारा दी गई सूचना किसी भी रूप में इस कारण से उपयोगी नहीं है कि उन्होंने केवल अध्याय 31 के अंतर्गत आने वाले आयातों पर ही विचार किया है जबकि खेंपवार आंकड़े स्पष्टत: यह दर्शाते हैं कि आयातों की सूचना अध्याय 28 के अंतर्गत आने वाले आयातों के संबंध में भी दी गई है। यह देखा जा सकता है कि किसी भी आयातक के लिए यह अनुमेय है कि वह वस्तु का स्पष्टीकरण करने के लिए उपर्युक्त किसी भी कोड को स्वीकार कर सकता है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इस उत्पाद के लिए अनुमत वर्गीकरणों में एक से अधिक वर्गीकरण है और यह तथ्य कि वास्तव में आयातों की सूचना एक से अधिक एचएस कोड के अंतर्गत दी गई है, इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्रैन की सरकार द्वारा रिपोर्ट किए गए आयात, आयातों की वास्तविक मात्रा का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

ट) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किए गए प्रारंभिक जांच-परिणाम में पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंधों का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस याचिका तथा याचिकाकर्ता द्वारा दायर किए गए लिखित प्रस्तुतिकरणों में भी पाटन और घरेलू उद्योग के बीच कारणात्मक संबंधों का निस्तारण किया है। यह सिद्ध नहीं हुआ है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पाए गए कारणात्मक संबंधों का कोई भी तथ्य अनुपयुक्त या तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

56. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 का पैरा (3) यह अपेक्षा करता है कि यदि एक से अधिक देश से उत्पाद के आयातों के मामले में पाटनरोधी जांच एक साथ की जा रही है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी इन आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करेंगे, यदि यह निर्धारित होता है तो :

क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा सामान्य वस्तु के आयातों का तीन प्रतिशत है अथवा जहां व्यक्तिगत देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है वहां सामूहिक रूप से आयात समान वस्तु के आयातों का सात प्रतिशत से अधिक होता है और

ख. आयातित वस्तु तथा सामान्य घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति के आलोक में आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करना उपयुक्त होता है।

57. इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते है कि:

क. प्रत्येक संबंध देश से पाटन का मार्जिन नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक है।

ख. प्रत्येक संबंध देश से आयात की मात्रा निर्दिष्ट सीमा से अधिक है, और

ग. आयातित वस्तु तथा समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति के आलोक में घरेलू रूप से उत्पादित समान वस्तु के संबंध में यूरोपियन यूनियन, चीन जन.गण, उक्रैन और कोरिया आरपी से संबंध वस्तु के आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करना उपयुक्त होगा।

58. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पार्टित आयातों के प्रभाव, और (ख) इन वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव दोनों की उद्देश्य परक जांच करने का प्रावधान है। पाटित आयातों के मात्रा प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से और भारत में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में भारी वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया जा रहा है। अथवा इन आयातों का प्रभाव कीमतों को भारी मात्रा में निग्रह करने अथवा कीमत वृद्धि को रोकने का है जो अन्यथा भारी मात्रा में गठित हुआ होता।

59. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के विचारों पर विचार किया और उसका समुचित रूप से निराकरण कर दिया है।

60. उक्रैन की सरकार ने तर्क दिया है कि आयातों में गिरावट हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्रैन से आयातों की मात्रा में आधार वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2010-11 और 2011-12 में वास्तव में गिरावट आयी है परंतु जांच की अवधि के वार्षिकीकृत आंकड़े यह दर्शाते है कि जांच की अवधि में मांग में गिरावट होने के बावजूद भी जांच की अवधि में उक्रैन से आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, उक्रैन की सरकार ने घरेलू उद्योग द्वारा सहन की जा रही क्षति के संबंध में याचिकाकर्ता के दावे का विरोध किया हैं। यह नोट किया जाता है कि उक्रैन की सरकार ने वर्ष 2011-12 के दौरान घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन पर विचार किया है और उसकी विगत वर्ष से तुलना की है, अत: उसने जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन की अवहेलना की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि का निर्धारण करने का प्रयोजन जांच की अवधि के दौरान पाटन मार्जिन का निर्धारण होता है और उसके बाद यह आकलन करना होता है कि क्या यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को विगत अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन के संबंध में क्षति हुई है। अत: यह जांच की अवधि होती है

जिसमें घरेलू उद्योग के निष्पादन पर विचार किया जाना चाहिए। विगत वर्ष केवल तुलना करने के लिए आधार के रूप में कार्य करता है।

61. यह नोट किया जाता है कि वर्तमान मामलें में नियमों के अंतर्गत क्षति का संचयी आकलन करने के लिए विनिर्दिष्ट शर्ते पूरी होती हैं इस लिए प्राधिकारी ने केवल उक्रैन से होने वाले आयातों पर विचार न करते हुए संबद्ध देशों से आयातों पर संचयी रूप से विचार करके घरेलू उद्योग की क्षति का आकलन किया है।

62. यह नोट किया जाता है कि विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में मांग में बाजार हिस्से में मामूली सी वृद्धि हुई है। तथापि, आयातों में भारी मात्रा में और अन्नुपातिक रूप से बढ़ोतरी हुई है। तत्पश्चात, वर्ष 2011-12 में जहां मांग में गिरावट आयी है वहीं आयातों में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त जांच की अवधि में मांग में कुछ वृद्धि हुई है वहीं आयातों में वृद्धि मांग में हुई वृद्धि की तुलना में बहुत अधिक है। अत: यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2010-11 के पश्चात आयातों में वृद्धि मांग में हुई वृद्धि से बहुत अधिक है।

63. घरेलू उद्योग को क्षति की मौजूदगी और घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन के संबंध में उक्रैन की सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों, जैसा कि विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों में प्रदर्शित होता है, की भी जांच की गई है। यह नोट किया जाता है कि लाभ/हानि और प्रशासनिक व्यय जैसे पैरामीटरों के संबंध में उक्रैन की सरकार के तर्क घरेलू उद्योग के समग्र प्रचालनों पर आधारित है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग एक बहु उत्पाद कंपनी है और यह कई उत्पादों का उत्पादन और बिक्री करती है। प्राधिकारी को केवल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सूचना पर ही विचार करना अपेक्षित होता है। घरेलू उद्योग का समग्र निष्पादन जो कि विभिन्न उत्पादों के लिए घरेलू उद्योग की स्थिति का संचयी रूप से प्रदर्शन करता है घरेलू उद्योग पर पार्टित आयातों के परिणामी प्रभाव का निश्चय करने के लिए संगत नहीं होता है। यह भी नोट किया जाता है कि यह भी किया जाता है कि उक्रैन की सरकार ने वर्ष 2009-10 और वर्ष 2011-12 के बीच घरेलू उद्योग के निष्पादन की तुलना की है और जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन पर विचार नहीं किया है। यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने जांच की अवधि का निष्पादन उस पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए किया है जो जांच की अवधि के दौरान भारत में किये गये आयातों के बारे में प्रचलित था। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी को जांच की अवधि के दौरान के साथ-साथ विगत वर्ष में घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच करना भी अपेक्षित होता है। इस संबंध में विगत अवधि के लिए सूचना यह निर्धारित करने के लिए बेंचमार्क के रूप में कार्य करती है कि क्या जांच की अवधि में निष्पादन को क्षतिकारित रूप में वर्णित किया जा सकता है।

64. इस तर्क के संबंध में कि सोडियम नाइट्रेट के (कोड संख्या 31025000) आयातों में कमी हुई है। यह नोट किया जाता है कि इस विचाराधीन उत्पाद के लिए डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त खेंपवार आयात सूचना यह दर्शाती है कि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात में वृद्धि हुई है।

65. इस तर्क के संबंध में कि जांच के अध्यधीन संबद्ध वस्तु के आयातों तथा घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराई गई क्षति सूचना की विस्तृत जांच की है और इस जांच का विश्लेषण इस खंड के उत्तरवर्ती पैराग्राफों में दिया गया है।

छ.1 पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव घरेलू उद्योग पर प्रभाव

क) मांग और बाजार हिस्से का आकलन

66. प्राधिकारी ने मांग का निर्धारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों, अन्य उत्पादकों की बिक्रियों और सभी स्रोतों से (डीजीसीआईएस आंकड़ों के अनुसार) भारत में संबद्ध वस्तु के आयात के योग के रूप में किया है। इस तरह आकलित मांग को निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है:-

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि	पीओआई (वार्षिकीकृत)
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी. टन	7,793	10,855	9,624	11,465	9,172
अन्य उत्पादक	मी. टन	3,953	2,568	2,580	3,225	2,580
संबद्ध देश	मी. टन	4,073	3,093	2,413	4,663	3,730
चीन जन.गण	मी. टन	1,917	2,012	378	560	448
कोरिया आरपी	मी. टन	0	762	1,038	919	735
ईयू	मी. टन	931	319	797	1,613	1,290
उक्रैन	मी. टन	1,226	0	200	1,571	1,257
अन्य देश	मी. टन	409	140	63	25	20
कुल मांग	मी. टन	16,228	16,656	14,679	19,379	15,503
मांग में बाजार हिस्सा :						
घरेलू उद्योग	%	48%	65%	66%	59%	59%
अन्य उत्पादक	%	24%	15%	18%	17%	17%
संबद्ध देश:	%	25%	19%	16%	24%	24%
चीन जन.गण	%	12%	12%	3%	3%	3%
कोरिया आरपी	%	0%	5%	7%	5%	5%
ईयू	%	6%	2%	5%	8%	8%
उक्रैन	%	8%	0%	1%	8%	8%
अन्य देश	%	3%	1%	0%	0%	0%

67. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में संबद्ध वस्तु की मांग में गिरावट आयी है। तथापि विगत वर्ष की तुलना में उसमें वृद्धि हुई है। प्राधिकारी पुन: यह नोट करते हैं कि वर्ष 2010-11 में मांग में संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में गिरावट आयी है और उसके पश्चात उसमें जांच की अवधि तक वृद्धि हुई है। दूसरी ओर वर्ष 2010-11 में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। वर्ष 2011-12 में समान स्तर पर बना रही और जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई। यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि में जहां घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई वहीं संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान मामूली सी गिरावट आई है।

ख) पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव: आयात मात्रा और बाजार हिस्सा

68. भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में आयातों की मात्रा और आयात निम्नलिखित तालिका में दिये गये है:-

आयात मात्रा	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि	पीओआई (वार्षिकीकृत))
चीन जन.गण	मी.टन	1,917	2,012	378	560	448
कोरिया आरपी	मी.टन	0	762	1,038	919	735
ईयू	मी.टन	931	319	797	1,613	1,290
उक्रैन	मी.टन	1,226	0	200	1,571	1,257
संबद्ध देश	मी.टन	4,073	3,093	2,413	4,663	3,730
अन्य देश	मी.टन	409	140	63	25	20
कुल आयात	मी.टन	4,482	3,233	2,476	4,688	3,751
कुल खपत	मी. टन	16,228	16,656	14,679	19,379	15,503
कुल उत्पादन	मी.टन	8,952	12,365	11,042	13,099	10,479
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देशों से आयात:						
कुल आयात	%	91%	96%	97%	99%	99%
खपत	%	25%	19%	16%	24%	24%
उत्पादन	%	32%	21%	18%	29%	29%

69. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि वर्ष 2009-10 में कोरिया आरपी से कोई आयात नहीं हुआ था। तथापि इस वर्ष ईयू, चीन और उक्रैन से भारी आयात हुए थे। वर्ष 2009-10 के दौरान चीन जन.गण से आयात की मात्रा बहुत अधिक थी और इसमें वर्ष 2010-11 में और अधिक वृद्धि हुई। तत्पश्चात इसमें वर्ष 2011-12 में गिरावट आई और जांच की अवधि के दौरान इसमें फिर वृद्धि हो गई। वर्ष 2009-10 में कोरिया आरपी से कोई आयात नहीं हुआ था परंतु उसमें वर्ष 2011-12 तक वृद्धि हुई तथा जांच की अवधि के दौरान उसमें गिरावट आयी। वर्ष 2010-11 में ईयू से आयातों में गिरावट आयी और उसके पश्चात आयातों में जांच की अवधि तक वृद्धि हुई है। वर्ष 2009-10 में उक्रैन से भारी मात्रा में आयात हुए थे उसमें वर्ष 2010-11 तक गिरावट आकर यह निर्यात शून्य हो गए, तत्पश्चात इस निर्यातों में जांच की अवधि तक वृद्धि हुई है। जांच की अवधि के दौरान उक्रैन से आयातों में आधार वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी हुई है और विगत वर्ष की तुलना में इसमें भारी वृद्धि हुई है। पुन: यह नोट किया जाता है कि वर्ष 2011-12 तक संबद्ध देशों के संचयी आयातों की मात्रा में गिरावट आयी है और उसके पश्चात विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान इनमें भारी वृद्धि हुई है।

छ.2 पाटित आयातों का घरेलू उद्योग पर कीमत प्रभाव

क) कीमत अधोरदन और कीमत अधोबिक्रयण

70. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध-2 (ii) में निम्नलिखित निर्धारित किया गया है :

"नियम 18 के उप-नियम (2) में यथाउल्लिखित कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी यह विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया गया है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव कीमतों को भारी मात्रा में निग्रह कर रहा है। अथवा कीमतों को बढ़ने से रोक रहा है जिनमें अन्यथा भारी मात्रा में वृद्धि हुई होती।"

71. पाटित आयातों का कीमतों पर प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह जांच की कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया गया है अथवा इन आयातों का प्रभाव अन्यथा भारी मात्रा में कीमतों को निग्रह करने वाला होगा अथवा यह उन कीमतों में बढ़ोतरी होने से रोकेगा जो अन्यथा भारी मात्रा में हुई होती। इस संबंध में संबंधित उत्पाद के उतराई मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच तुलना की गई। इस तुलना से यह स्पष्ट हुआ कि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों के मूल्य के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का भारतीय बाजार में ऐसी कीमतों पर आयात किया गया जो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से कम थी। अत: यह नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तु के आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का अधोरदन कर रहे थे।

72. कीमत अधोरदन का निर्धारण निम्नवत किया गया है:-

चीन जन.गण

विवरण	**इकाई**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**पीओआई**
आयातों की उतराई कीमत	रुपये/ मी.टन	***	***	***	***
निवल बिक्री प्रापण	रुपये/ मी.टन	***	***	***	***
कीमत अधोरदन %	रुपये/ मी.टन	***	***	***	***
कीमत अधोरदन %	%	***	***	***	***
कीमत अधोरदन (% रेंज)	% रेंज	15-25	5-15	0-10	5-15

कोरिया आरपी

विवरण	**इकाई**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**पीओआई**
आयातों की उतराई कीमत	रुपये/ मी.टन	-	***	***	***
निवल बिक्री प्रापण	रुपये/ मी.टन	-	***	***	***
कीमत अधोरदन %	रुपये/ मी.टन	-	***	***	***
कीमत अधोरदन	%	-	***	***	***
कीमत अधोरदन (% रेंज)	%	-	0-10	5-15	0-10

ईयू

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	पीओआई
आयातों की उतराई कीमत	रुपये/ मी.टन	23,556	***	***	***
निवल बिक्री प्रापण	रुपये/ मी.टन	25,423	***	***	***
कीमत अधोरदन %	रुपये/ मी.टन	1,867	***	***	***
कीमत अधोरदन	%	7	***	***	***
कीमत अधोरदन (% रेंज)	%	5-15	5-15	10-20	10-20

उक्रैन

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	पीओआई
आयातों की उतराई कीमत	रुपये/ मी.टन	23,953	***	***	***
निवल बिक्री प्रापण	रुपये/ मी.टन	25,423	***	***	***
कीमत अधोरदन %	रुपये/ मी.टन	1,470	***	***	***
कीमत अधोरदन	%	6	***	***	***
कीमत अधोरदन (% रेंज)	%	0-10	-	5-15	10-20

संबद्ध देश

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	पीओआई
आयातों की उतराई कीमत	रुपये/ मी.टन	22,389	21,318	24,716	27,132
निवल बिक्री प्रापण	रुपये/ मी.टन	25,423	***	***	***
कीमत अधोरदन %	रुपये/ मी.टन	3,034	***	***	***
कीमत अधोरदन	%	12	***	***	***
कीमत अधोरदन (% रेंज)	% रेंज	5-15	5-15	5-15	5-15

73. उपर्युक्त से प्राधिकारी यह नोट करते हैकि संबद्ध वस्तु की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थी जिससे संबद्ध देशों से पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन कारित किया जाना प्रदर्शित हो रहा है।

74. कीमत अधोविक्रयण का निर्धारण निम्नवत किया जाता है :

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	चीन जन.गण.	कोरिया आर पी	ईयू	उक्रैन
1	गैर क्षतिकारी कीमत (एनआईपी)	यूएस डालर/ एसटी	***	***	***	***
2	आयातों की उतराई कीमत	यूएस डालर/ एसटी	***	***	***	***

3	कीमत अधोविक्रयण	यूएस डालर/ एसटी	***	***	***	***
4	कीमत अधोविक्रयण	%	***	***	***	***
5	कीमत अधोविक्रयण % रेंज	% रेंज	20-30	15-25	30-40	25-35

ख) कीमत निग्रहण और अवमंदन

75. यह निर्धारित करने के लिए की क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का निग्रहण अथवा अवमंदन कर रहे हैं और क्या इन आयातों का प्रभाव कीमतों का भारी मात्रा में निग्रहण करना है अथवा कीमतों को बढ़ने से रोकना है जो अन्यथा भारी मात्रा में घटित हुआ होता, प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया कि क्षति अवधि में लागत और कीमत में परिवर्तन आया है। इस संबंध में हुई प्रवत्तियों को संक्षेप में निम्नलिखित रूप से दर्शाया गया है :

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
बिक्रियों की लागत	रुपये/ मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*100*	*140*	*159*
निवल बिक्री प्रापण	रुपये/ मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*93*	*110*	*122*
संबद्ध देशों से समग्र रूप में आयातों की उतराई कीमत	रुपये/ मी.टन	22,389	21,318	24,716	27,132

76. यह नोट किया जाता है कि वर्ष 2010-11 को छोड़कर क्षति अवधि के दौरान निवल बिक्री प्रापण में बढ़ोतरी हुई है। तथापि, यह उसी अवधि के दौरान बिक्रियों की लागत में हुई वृद्धि से कम है। क्षति अवधि के दौरान, वर्ष 2010-11 के सिवाय, उतराई मूल्य में बढ़ोतरी हुई है। तथापि, उतराई मूल्य में यह बढ़ोतरी लागत और बिक्री कीमत में हुई वृद्धि से बहुत कम है। अत: पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों पर निग्रहणकारी प्रभाव कारित कर रहे हैं :

छ.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक पैरामीटर

77. पाटन रोधी नियमावली का अनुबंध-2 यह अपेक्षा करता है कि क्षति निर्धारण में इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की उद्देश्य परक जांच अंतर्ग्रस्त होगी। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटन रोधी नियमावली में पुन: यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उन सभी संगत कारकों और देशनांकों, जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ रहा है, उद्देश्यपरक एवं पक्षपात रहित मूल्यांकन शामिल होना चाहिए जिसमें लाभ, बिक्री, आउटपुट, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर अर्जन अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह पर वास्तविक एवं संभावित ऋणात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, वेतन, वृद्धि, पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता शामिल होगी। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति पैरा मीटरों का वर्णन निम्नलिखित रूप से किया गया है:-

क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

78. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा से संबंधित सूचना निम्नलिखित है :

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
संयंत्र क्षमता	मी.टन	44,000	44,000	44,000	55,000	44,000
उत्पादन संयंत्र (एसएनआई+एसएनए) *	मी.टन	38,151	42,810	41,106	50,287	40,230
क्षमता उपयोग संयंत्र	%	87	97	93	91	91
उत्पादन – पीयूसी	मी.टन	8,952	12,365	11,042	13,099	10,479
घरेलू बिक्री मात्रा – पीयूसी	मी.टन	7,793	10,855	9,624	11,465	9,172

*एसएनआई – सोडियम नाइट्राइट, एसएनए-सोडियम नाइट्रेट

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन सोडियम नाइट्राइट के साथ संयुक्त रूप से किया जाता है। चूंकि उत्पादन सुविधाएं साझा है और उत्पाद का सह-उत्पादन किया जाता है इसलिए क्षमता उपयोग की जांच सोडियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्रेट के संयुक्त उत्पादन पर विचार करते हुए की गई है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि 44,000 मी.टन की क्षमता सोडियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्रेट दोनों की संयुक्त क्षमता है। इसलिए उत्पादन क्षमताओं के उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए प्राधिकारी ने सोडियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्रेट दोनों के उत्पादन पर विचार किया है और क्षमता उपयोग का निर्धारण किया है।

80. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के घरेलू बिक्री, उत्पादन और क्षमता उपयोग में वर्ष 2010-11 तक बढ़ोतरी हुई और उसके पश्चात उसमें गिरावट आयी है।

ख) लाभ, लगाई गई पूंजी पर अर्जन और नकद लाभ

81. घरेलू उद्योग के लाभ, निवेश पर अर्जन और नकदी प्रवाह की जांच निम्नलिखित की गई है :

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
बिक्री लागत	रुपये/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*100*	*140*	*159*
बिक्री कीमत	रुपये/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*93*	*110*	*122*
लाभ/हानि	रुपये/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*(2)*	*(332)*	*(419)*
लाभ/हानि	लाख रुपये	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*(3)*	*(410)*	*(493)*

ब्याज एवं कर पूर्व लाभ	लाख रुपये	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*20*	*(295)*	*(348)*
नकद लाभ	लाख रुपये	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*60*	*(236)*	*(287)*
लगाई गई पूंजी पर अर्जन (एनएफए आधार)	*%*	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*17*	*(219)*	*(264)*

82. उपर्युक्त से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि :

(i) घरेलू उद्योग की निबल बिक्री कीमत और बिक्री लागत दोनों में जांच की अवधि के दौरान बढ़ोतरी हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि उसकी बिक्री कीमत में हुई वृद्धि की तुलना में बहुत अधिक है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आयी है।

(ii) लाभ में गिरावट के परिणाम स्वरूप निवेश पर अर्जन और नकद लाभ में आधार वर्ष के साथ-साथ विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान भारी गिरावट आयी है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को जांच की अवधि और वर्ष 2011-12 के दौरान लगाई गयी पूंजी पर ऋणात्मक अर्जन और नकद घाटा हुआ है।

ग) रोजगार एवं वेतन

83. घरेलू उद्योग के रोजगार स्तर एवं वेतन की स्थिति को निम्नवत दर्शाया गया है :

विवरण	**इकाई**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**जांच की अवधि**	**जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)**
रोजगार	संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*121*	*112*	*116*	*116*
वेतन एवं पारिश्रमिक	लाख रुपये	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*182*	*213*	*196*	*156*
पारिश्रमिक प्रति इकाई	रुपये/किग्रा	***	***	***	***	***

84. उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि रोजगार स्तर में वर्ष 2010-11 में वृद्धि हुई और बाद में इसमें गिरावट आयी और जांच की अवधि में इसमें पुन: वृद्धि हुई। पुन: यह नोट किया जाता है कि वेतन में भी वर्ष 2011-12 तक बढ़ोतरी हुई और जांच की अवधि में इसमें गिरावट आयी। वर्ष 2011-12 तक प्रति इकाई वेतन में वृद्धि हुई और जांच की अवधि में इसमें गिरावट आयी।

घ) उत्पादकता

85. घरेलू उद्योग की उत्पादकता निम्नलिखित तालिका में दी गई है :

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	मी.टन/सं.	***	***	***	***
उत्पादकता प्रति दिन	मी.टन/दिन	***	***	***	***

86. प्राधिकारी नोट करते है कि प्रति कर्मचारी उत्पादकता और प्रतिदिन उत्पादकता में वर्ष 2010-11 में बढ़ोतरी हुई और उसके पश्चात इसमें गिरावट आयी है।

ड.) मालसूची

87. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की मालसूची की जांच की है जो निम्नलिखित तालिका में दी गई है:-

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
औसत भंडार	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*277*	*439*	*191*

88. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की माल सूची में वर्ष 2011-12 तक वृद्धि हुई और जांच की अवधि में इसमें गिरावट आयी ।

च) पाटन का विस्तार

89. उस विस्तार के संकेतक के रूप में जिस तक पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई जा सकती है पाटन की मात्रा यह दर्शाती है कि संबद्ध देशों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक और महत्वपूर्ण है।

छ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

90. संबद्ध देशों तथा अन्य देशों से आयात कीमत, लागत ढांचे में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों के अलावा अन्य कारक जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, पर विचार दर्शाता है कि संबद्ध देशों से आयातित सामग्री का उतराई मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है जिससे भारतीय बाजार में भारी कीमत अधोरदन कारित किया जा रहा है। कच्चे माल की कीमत में बढ़ोतरी होने के परिणाम स्वरूप संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत में वृद्धि हो रही है। घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतों में बढ़ोतरी की है तथापि बढ़ायी गई कीमत लागत में हुई बढ़ोतरी से बहुत कम है। पुन: यह नोट किया जाता है कि अन्य देशों से संबद्ध वस्तु के आयात उच्चतर कीमतों पर हुए हैं। अत: घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का पाटित आयात है।

ज) पूंजी उगाहने की क्षमता

91. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग एक बहु उत्पाद कंपनी है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि वर्तमान मामलों की स्थिति, जहां उत्पाद लगातार पाटन के कारण निरंतर सही निष्पादन नहीं कर रहा है, पर विचार करते हुए किसी नये निवेश की परिकल्पना नहीं की जा सकती है।

झ) वृद्धि

92. घरेलू उद्योग के विकास के संबंध में स्थिति निम्नवत है:-

वर्ष दर वर्ष विकास	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
उत्पादन	%	-	38	(11)	(5)
घरेलू बिक्रियां	%	-	39	(11)	(5)
बिक्रियों की लागत	%	-	(0)	40	14
बिक्री कीमत	%	-	(7)	18	11
लाभ प्रति मी.टन	%	-	(102)	(17,278)	(26)
निवेश पर अर्जन (एनएफए)	%	-	(14)	(39)	(7)

93. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्री मात्रा, लाभ और निवेश पर अर्जन में क्षति अवधि के दौरान ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित हुई है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की समग्र वृद्धि विपरीत रही है।

छ.4 अन्य ज्ञात कारक एवं कारणात्मक संबंध

94. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी को, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों के अलावा उन अन्य सभी ज्ञात कारकों की जांच करना अपेक्षित होता है जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हो ताकि इन अन्य कारकों द्वारा कारित क्षति के लिए पाटित आयातों को उत्तरदायी न ठहराया जाए। इस संबंध में, जो संगत कारक हो सकते हैं, उनमें, अन्य बातों के साथ, उन आयातों की मात्रा जिनकी बिक्री पाटित कीमतों पर नहीं की गई, मांग में संकुचन अथवा खपत की प्रणाली में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं, घरेलू उत्पादकों और विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास, निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है। प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति में अपना योगदान दिया है।

95. कारणात्मक संबंधों की जांच निम्नवत की गई है:

(क) तृतीय देशों से आयात तथा अन्य ज्ञात कारक

96. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के अलावा अन्य देशों से आयात की मात्रा क्षति अवधि के दौरान महत्वहीन रही है।

(ख) मांग में संकुचन और/ या खपत की प्रणाली में परिवर्तन

97. क्षति अवधि के दौरान मांग में कुछ गिरावट आयी है। तथापि घरेलू उद्योग को मांग में किसी परिवर्तन के बजाय पाटित आयातों के कारण क्षति सहन करनी पड़ी है। उपलब्ध सूचना से यह नोट किया जाता है कि मांग में गिरावट होने के बावजूद पाटित आयातों की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है।

(ग) व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं और विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

98. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु की केवल एक मात्र बाजार है जहां संबद्ध देशों से पाटित आयातों के बीच घरेलू उद्योग द्वारा आपूरित संबद्ध वस्तु से प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा होती है। यह भी नोट किया जाता है कि आयातित संबद्ध वस्तु और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु समान वस्तुएं हैं और उनका प्रयोग समान अनुप्रयोगों/अंतिम प्रयोगों के लिए किया जाता है। व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाओं और विदेशी उत्पादकों तथा घरेलू उत्पादकों के बीच किसी ऐसी प्रतिस्पर्धा का कोई साक्ष्य नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो।

(घ) प्रौद्योगिकी में विकास

99. प्रौद्योगिकी में कथित रुप से कोई विकास नहीं हुआ है और न ही जांच में अभी तक यह प्रदर्शित हुआ है कि प्रौद्योगिकी में विकास द्वारा घरेलू उद्योग को कोई संभावित क्षति कारित की गई है।

(ड.) निर्यात निष्पादन

100. प्राधिकारी यह नोट करते है कि याचिकाकर्ता कंपनी के निर्यात की मात्रा उत्पादन की कुल बिक्री का लगभग 10 प्रतिशत बनती है। तथापि क्षति सूचना याचिकाकर्ता कंपनी के घरेलू निष्पादन से संबंधित है। अत:, घरेलू उद्योग को क्षति अवधि और जांच की अवधि के दौरान हुए नुकसान के लिए घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में संभावित गिरावट को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

(च) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

101. प्राधिकारी नोट करते है कि उत्पादन में गिरावट के लिए पाटित आयातों की मात्रा में बढ़ोतरी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

102. प्राधिकारी नोट करते है कि यद्यपि सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारक यह नहीं दर्शाते है कि घरेलू उद्योग को इन कारकों से क्षति कारित हुई है तथापि निम्नलिखित पैरामीटर यह दर्शाते है कि घरेलू उद्योग की क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है:-

(क) संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में समग्र स्तर पर भारी वृद्धि हुई है। संबद्ध वस्तु के कुल आयात में संबद्ध देशों से पाटित आयातों का बाजार हिस्सा लगभग जांच की अवधि में 100 प्रतिशत है।

(ख) आयातों से घरेलू कीमतों का भारी कीमत अधोरदन हो रहा था।

(ग) इसके परिणाम स्वरुप कीमत अधोरदन से घरेलू उद्योग पर कीमत दबाव पड़ा। इसके परिणाम स्वरुप घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता में गिरावट आयी है।

(घ) पाटित आयातों का कीमत निग्रहण के रुप में भारी विपरीत कीमत प्रभाव हुआ है। भारी कीमत अंतर और कीमत में बढ़ोतरी के अनुपात में कीमतों में वृद्धि करने में घरेलू उद्योग की अक्षमता के परिणाम स्वरुप घरेलू उद्योग के निष्पादन में लाभ, नकद लाभ और निवेश पर अर्जन के रुप में गिरावट आयी है। अत: लाभ, नकदी प्रवाह और निवेश पर अर्जन के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट देश में उत्पाद के पाटन के कारण आयी है।

(ड.) घरेलू उद्योग का विकास मात्रा और कीमत पैरामीटरों के संबंध में ऋणात्मक रहा है।

(च) यद्यपि वर्ष 2010-11 में तथा जांच की अवधि में आयात की मात्रा और इसके बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है तथापि घरेलू उद्योग ने अपना बाजार हिस्सा खो दिया। इसके परिणाम स्वरुप घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग में गिरावट आयी है।

क्षति और क्षति मार्जिन की मात्रा

103. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की गैर क्षतिकारी कीमत का निर्धारण घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर विचार करते हुए किया है। घरेलू उद्योग की इस गैर क्षतिकारी कीमत की तुलना क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों के उतराई मूल्य से की गई। क्षति मार्जिन को निम्नवत निर्धारित किया गया है:

क्षति मार्जिन

क्र. सं.	विवरण	इकाई	चीन जन.गण.	कोरिया आरपी	ईयू	उक्रैन
1	गैर क्षतिकारी कीमत (एनआईपी)	अमरीकी डालर/एमटी	***	***	***	***
2	उतराई कीमत	अमरीकी डालर/एमटी	***	***	***	***
3	क्षति मार्जिन	अमरीकी डालर/एमटी	***	***	***	***
4	क्षति मार्जिन	%	***	***	***	***
5	क्षति मार्जिन	% रेंज	20-30	15-25	30-40	25-35

104. यथानिर्धारित क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन का स्तर बहुत अधिक माना गया है।

ज. भारतीय उद्योग का हित तथा अन्य मुद्दे

105. प्राधिकारी यह नोट करते है कि सामान्य रुप से पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहार द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का प्रशमन करना है ताकि भारतीय बाजार में मुक्त एवं पक्षपात रहित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुन: स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में हैं। पाटन रोधी शुल्क का अधिरोपण करने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी रुप में प्रतिबंधित नहीं होगी, और, इसलिए, इससे उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

106. यह माना जाता है कि पाटन रोधी शुल्क का अधिरोपण करने से उन उत्पादों की कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है जिनका विनिर्माण संबद्ध वस्तु का प्रयोग करके किया जाता है और इसके परिणामस्वरुप इन उत्पादों की संगत प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटनरोधी उपाय खासकर तब जब पाटन रोधी शुल्क का अधिरोपण घरेलू उद्योग को कारित क्षति का समाधान करने के लिए जरुरी राशि तक प्रतिबंधित कर दिया जाए तो, से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में किसी तरह की कमी नहीं आयेगी। इसके विपरीत, पाटन रोधी शुल्क का अधिरोपण पाटन प्रक्रियाओं द्वारा अर्जित अनुचित लाभ को दूर कर देगा, घरेलू उद्योग के निष्पादन आई कमी को दूर करेगा, और उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु के व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाये रखने में सहायता करेगा।

छ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण

छ.1 विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण

107. किसी भी विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकार ने प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण नहीं किया है।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात किया गया विवरण प्रस्तुतिकरण

108. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात किए गए विवरण प्रस्तुतिकरण संक्षेप में निम्नलिखित हैं :

(क) गैर-क्षतिकारी कीमत का पाटनरोधी नियमावली की और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा विगत में अपनाई गई परम्परा की सम्पुष्टि में पुनर्निर्धारण किया जाना चाहिए।

(ख) इस विचाराधीन उत्पाद का भारत में सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन हुआ है।

(ग) जांच की अवधि में क्षति मार्जिन तथा पाटन मार्जिन दोनों ही बहुत अधिक है और संबद्ध देशों से सकारात्मक है।

(घ) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

(ड.) पाटनरोधी शुल्क का निर्णायक रूप से निर्धारित में अधिरोपित किया जाना अपेक्षित है और यह शुष्क यूएस डालर रूप में अभिव्यक्त किया जाना चाहिए।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

109. प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि घरेलू उद्योग के उपर्युक्त तर्क पुनरावर्तक है और इनका निस्तारण प्राधिकारी द्वारा प्रकटन विवरण में पहले ही कर दिया गया है और इसका निपटान एक बार पुन: अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में उपयुक्त शीर्षकों के अंतर्गत कर दिया गया है।

ज. निष्कर्ष

110. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के पश्चात प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि विचाराधीन उत्पाद सोडियम नाइट्रेट का भारत को यूरोपियन यूनियन, चीन, उक्रैन और कोरिया आरपी से निर्यात उससे कि इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया जिसके परिणामस्वरुप इस उत्पाद का पाटन हुआ। घरेलू उद्योग को सम्बद्ध वस्तु के बारे में वास्तविक क्षति सहन करनी पड़ी। यह वास्तविक क्षति यूरोपियन यूनियन, चीन जन.गण, उक्रैन और कोरिया आरपी से पाटित आयातों के कारण कारित की गई है।

झ. सिफारिशें

111. प्राधिकारी नोट करते है कि यह जांच शुरु की गई तथा सभी हितबद्ध पक्षकारों को इसकी सूचना दी गई और निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के सभी पहलुओं पर सकारात्मक जानकारी प्रदान कराने के लिए उन्हें पर्याप्त अवसर दिया गया। पाटन रोधी नियमावली में दी गई शर्तों के अनुरुप पाटन क्षति और कारणात्मक संबंधों की जांच प्रारंभ करके एवं आयोजित करके घरेलू उद्योग के लिए सकारात्मक पाटन मार्जिन तथा इन पाटित आयातों के कारण हुई वास्तविक क्षति की स्थापना प्राधिकारी का विचार है कि पाटन परिणामी "क्षति" को दूर करने के लिए पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन के न्यूनतर के बराबर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करना अपेक्षित जिससे कि घरेलू उद्योग की क्षति दूर हो सके। क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद के आयातों के उतराई मूल्य की तुलना इस जांच की अवधि के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित घरेलू समान उत्पाद की गैर-क्षतिकारी कीमत से की गई।

112. प्राधिकारी द्वारा अपनाये गये न्यूनतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के न्यूनतर के बराबर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश करते हैं जिससे कि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार यूरोपियन यूनियन, चीन जन.गण, उक्रैन और कोरिया आरपी के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख से निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट राशि के अनुरुप पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किये जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्षक/ उपशीर्षक	वस्तु विवरण	उदगम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3102 50 00 तथा 2834	सोडियम नाइट्रेट	चीन जन.गण	चीन जन.गण	कोई	कोई	137.35	एमटी	अमरीकी डालर
2	3102 50 00 तथा 2834	सोडियम नाइट्रेट	चीन जन.गण	कोई	कोई	कोई	137.35	एमटी	अमरीकी डालर

3	3102 50 00 तथा 2834	सोडियम नाइट्रेट	संबद्ध देशों के अलावा कोई अन्य देश	चीन जन.गण	कोई	कोई	137.35	एमटी	अमरीकी डालर
4	3102 50 00 तथा 2834	सोडियम नाइट्रेट	यूरोपियन यूनियन	यूरोपियन यूनियन	कोई	कोई	171.79	एमटी	अमरीकी डालर
5	3102 50 00 तथा 2834	सोडियम नाइट्रेट	यूरोपियन यूनियन	कोई	कोई	कोई	171.79	एमटी	अमरीकी डालर
6	3102 50 00 तथा 2834	सोडियम नाइट्रेट	संबद्ध देशों के अलावा कोई अन्य देश	यूरोपियन यूनियन	कोई	कोई	171.79	एमटी	अमरीकी डालर
7	3102 50 00 तथा 2834	सोडियम नाइट्रेट	उक्रैन	उक्रैन	कोई	कोई	157.91	एमटी	अमरीकी डालर
8	3102 50 00 तथा 2834	सोडियम नाइट्रेट	उक्रैन	कोई	कोई	कोई	157.91	एमटी	अमरीकी डालर
9	3102 50 00 तथा 2834	सोडियम नाइट्रेट	संबद्ध देशों के अलावा कोई अन्य देश	उक्रैन	कोई	कोई	157.91	एमटी	अमरीकी डालर
10	3102 50 00 तथा 2834	सोडियम नाइट्रेट	कोरिया आरपी	कोरिया आरपी	कोई	कोई	117.20	एमटी	अमरीकी डालर
11	3102 50 00 तथा 2834	सोडियम नाइट्रेट	कोरिया आरपी	कोई	कोई	कोई	117.20	एमटी	अमरीकी डालर
12	3102 50 00 तथा 2834	सोडियम नाइट्रेट	संबद्ध देशों के अलावा कोई अन्य देश	कोरिया आरपी	कोई	कोई	117.20	एमटी	अमरीकी डालर

113. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का उतराई मूल्य वही होगा जो सीमाशुल्क द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत यथानिर्धारित आकलित किया गया है और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत शुल्कों के सिवाय अन्य सभी सीमाशुल्क शामिल होंगे।

114. इस आदेश, केंद्रीय सरकार द्वारा इसे स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात, के विरूद्ध सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद कर और सेवा कर अपीलीय अधिकरण में अपील कर जा सकती है।

जे. के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2014

(Final Findings)

Subject: Final Findings in the anti-dumping investigation concerning imports of Sodium Nitrate originating in or exported from European Union, China PR, Ukraine and Korea RP-reg

No.15/1009/2012-DGAD- Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995 thereof (hereinafter referred to as the Rules or the AD Rules).

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. The Designated Authority received a written application from M/s Deepak Nitrite Limited, Pune, on behalf of the domestic industry, requesting the Authority to initiate anti dumping investigation into the alleged dumping of Sodium Nitrate originating in or exported from the European Union, China PR, Ukraine and Korea RP causing injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

2. The procedure described below has been followed in this investigation:

(i) The Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) under the above Rules, after having received the written application from M/s Deepak Nitrite Limited, Pune, (hereinafter referred to as the applicant) on behalf of the domestic industry, alleging dumping of Sodium Nitrate (hereinafter referred to as the subject goods or SNA or the product) originating in or exported from European Union, China PR, Ukraine and Korea RP (hereinafter referred to as the subject countries) causing injury to the domestic industry and on the basis of sufficient prima facie evidence submitted by the applicant justifying the initiation of the investigation, decided to initiate the investigation against imports of the subject goods from the subject countries.

(ii) The Authority notified to the Delegation of the European Union to India, New Delhi, as also the Embassies of China, Ukraine and Korea RP in India about the receipt of the application of dumping allegation before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-Rule 5(5) of the AD Rules.

(iii) The Authority issued a public notice No 15/1009/2012-DGAD dated 5th June 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries. The Authority issued a corrigendum dated 6th July, 2013 to change the investigation period to October, 2011 – December, 2012.

(iv) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known exporters (whose details were made available in the application) and gave them opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the communication about the initiation of the investigation in accordance with the Rule 6(2) of the AD Rules.

(v) The Authority also forwarded a copy of the said public notice to all the known importers/users of the subject goods in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of the communication about the initiation of the investigation.

(vi) The Authority provided a copy of the non-confidential version of application to the known exporters, the Delegation of the European Union to India and the Embassies of China, Ukraine and Korea RP in India in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules. A copy of the application was also provided to other interested parties wherever requested.

(vii) The Authority sent questionnaires to the following known exporters in the subject countries (whose details were made available in the application) including the market economy treatment questionnaire to the known exporters from China PR to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

a) JSC “Concern Stirol”, Ukraine
b) Chemo Invest Trade Europe Kft, Hungary
c) Shanxi Calcrete Chemical Co., Ltd., China
d) Shandong Xinhao Chemicals Co., Ltd., China
e) Xiangyand Zedong Chemical Group Co., Ltd., China
f) Zigong Gold Way Chemicals Ltd., China
g) Shandong Hailand Chemical Industry Co Ltd., China

h) ST Chemical, S. Korea
i) Toto International, S. Korea
j) Metachem Corp, S. Korea
k) Siman Ltd., Bulgaria
l) Trade Success Ltd., Bulgaria

(viii) None of the exporters / producers filed any questionnaire response or submissions.

(ix) The Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine submitted its comments on the investigation through the Embassy of Ukraine in New Delhi.

(x) Questionnaires were sent to the following known importers/producers/users of subject goods in India (whose details were made available in the application) calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

a) Rajasthan Explosives & Chemicals Ltd., Dholpur, Rajasthan
b) Super Shiv Shakti Chemicals, Bhilwara, Rajasthan
c) Special Blast Ltd., Durg, Chhatish Garh
d) IDL Explosives Ltd., Hyderabad
e) Special Blast Ltd., Sidhi, M.P
f) Ideal Industrial Explosive Ltd., Secunderabad
g) Navbharat Explosive Ltd., Raipur, Chatisgarh
h) Solar Industries India Ltd., Nagpur
i) Mahanadi Metals & Chemicals Pvt. Ltd., Sundar Garh, Orissa
j) Vetrivel Explosive Pvt Ltd., Thuraiyur, Salem
k) Keltech Energies Ltd., Bangalore
l) Grauer Weil (India) Ltd., Dadra
m) Indrajit Industries Ltd., Bangalore
n) Hardcastle Petrofer Pvt., Ltd., Umergaon, Valsad
o) Jaju Chemicals Pvt Ltd., Malegaon
p) Jagatjit Industries, Sahibabad, Dist. Ghaziabad
q) Schott Glass India Pvt Ltd., Bharuch, Gujarat
r) Pooja Glass Works, Firozabad, Uttar Pradesh
s) Saint Gobain Glass India Ltd., Sriperumbudur, Tamilnadu
t) Geeta Glass Works, Firozabad, Uttar Pradesh
u) ShriBal Kishan Agrawal Glass Ind Ltd.,Firozabad, Uttar Pradesh
v) Meera Glass Work, Firozabad, Uttar Pradesh
w) Bisazza India Pvt., Ltd., Budasan
x) Jagdamba Glass Works, Firozabad, Uttar Pradesh
y) Pragati Glass Works Ltd., Kosamba
z) Advance Glass Works, Firozabad, Uttar Pradesh
aa) Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd, Mumbai
bb) National Fertilizer Ltd, Noida

(xi) Only three importers/users, namely, Rajasthan Explosives & Chemicals Ltd., Dholpur, Rajasthan; Schott Glass India Pvt. Ltd, Bharuch; and Sandeep Organics Pvt Ltd, Mumbai, responded to the initiation notification. They made some submissions but did not submit any importer questionnaire response.

(xii) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.

(xiii) Information provided by interested parties on confidential basis was examined by the Authority with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.

(xiv) Further information was sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary.

(xv) The non-injurious price has been worked out on the basis of the information furnished by the domestic industry based on its cost of production and cost to make and sell the subject goods in India, and further as per the guidelines under Annexure III of the AD Rules so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.

(xvi) Investigation was carried out for the period of investigation (POI) starting from October, 2011 to December, 2012. The examination of trends, in the context of injury analysis, covered the financial years 2009-10, 2010-11, 2011-12 and the POI.

(xvii) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years, including the period of investigation, and the said information was obtained from the DGCI&S.

(xviii) The Authority has examined the information furnished by the domestic producers to the extent possible on

the basis of guidelines laid down in Annexure III to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

(xix) The Authority, having regard to the Act and the AD Rules, recommended imposition of provisional Anti-Dumping duties concerning imports of Sodium Nitrate originating in or exported from European Union, China PR, Ukraine and Korea RP, vide its Preliminary Findings Notification No 15/1009/2012-DGAD dated 06.01.2014. The recommendations made by the Designated Authority were accepted by the Ministry of Finance and interim duties were levied vide Notification No. 14/2014 dated 19th March, 2014 for a period not exceeding six months from the date of publication of the said notification.

(xx) In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 24th July, 2014. The parties, which presented their views in the public hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally. The arguments made in the written submissions/rejoinders received from the interested parties have been considered.

(xxi) The original date to complete the investigation was up to 04.06.2014. However, at the request of the Authority, this date was extended by the Ministry of Finance up to 04.12.2014.

(xxii) A Disclosure Statement containing the essential facts in this investigation which would have formed the basis of the Final Findings was issued to the interested parties on 29.09.2014. The post Disclosure Statement submissions received have been considered, to the extent found relevant, in this Final Findings Notification.

(xxiii) The submissions made by the interested parties considered relevant by the Authority have been analyzed and addressed in this investigation.

(xxiv) ***in this Final Findings Notification represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

(xxv) The exchange rate adopted for the POI is 1 US $ =Rs 53.23.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1 **Views of the Domestic Industry**

3. The product under consideration in the present investigation is Sodium Nitrate, a chemical compound with the formula $NaNO_3$. This salt, also known as Chile saltpeter or Peru saltpeter, is a white solid which is soluble in water. The mineral form is also known as nitratine, nitratite or soda niter. Sodium Nitrate is derived as a co-product in the manufacture of Sodium Nitrite. Ammonia is converted into nitrous oxide at high temperature in the presence of catalyst and the nitrous oxide is then absorbed in caustic soda to get Sodium Nitrite and Sodium Nitrate.

4. There are no known grades of the product. Typical applications in which Sodium Nitrate can be used are Heat Transfer Salts and Flux; to manufacture various other Nitrate salts of Potassium & Barium; Agrochemicals; Bulk Intermediates; Manufacture of glass, Blasting powder, Slurry, Dynamite, Matches, FNS and Performance Chemicals, Leather Tanning Chemicals, Imaging and Colour Intermediates, Pharmaceutical Intermediates, Rubber Chemical Intermediates etc. Sodium Nitrate can also be used as a source of nitrogen in production of fertilizers. In fact, it is for this reason that the product is classified under Chapter 31025000 and attracts zero customs duty. There are a number of products available to fertilizer industry in the market which can be used as a source of nitrogen. This includes Urea and Ammonium Nitrate. However, the total cost of nitrogen nutrient in Urea and Ammonium Nitrate in 2012-13 which is Rs 20 per kg and Rs 52 per kg respectively, is much less in comparison to the total cost of nitrogen nutrient in Sodium Nitrate which is Rs 159.68 per kg. It would be seen that if Sodium Nitrate is used as a source of Nitrogen, it would mean eight times cost that would be incurred by a consumer if they use Urea as a source of Nitrogen. Given such a significant difference, it follows that no consumer in fertilizer industry would use Sodium Nitrate as a source of Nitrogen. It is also pointed out that Sodium Nitrate, as a product, is not covered under Fertilizer Control Order. Thus, even when Sodium Nitrate, in theory, can be used as a source of Nitrogen in Fertilizer industry, in fact, none of the fertilizer industry consumers are using Sodium Nitrate. Further, the petitioner does not sell Sodium Nitrate to consumers in fertilizer industry. Given that 59% of the demand for the product in the Country is met by the petitioner, had there been a consumption of Sodium Nitrate in Fertilizer industry, the petitioner would have certainly supplied a significant volume of the same to such consumers.

5. Sodium Nitrate is classified under customs heading 31025000 under Chapter 31 of the Customs Tariff Act. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation. The imports of the product under consideration have also been reported under Chapter 28 under subheading 2834 (Nitrites and Nitrates). There is no known difference in subject product produced by the domestic industry and the subject product exported from the subject territory/countries. Both, the subject product produced by the petitioner and that exported from the subject territory/countries to India have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc. The two are technically and commercially substitutable. The

consumers have used and are using the two interchangeably. There is no significant difference between the goods produced by the domestic industry and imported from subject countries. The alleged difference in values of purity, or difference in colour or physical forms does not render the domestic product as dislike to the imported product.

6. Petitioner has collected and referred to transaction-wise imports information from DGCI&S, wherein item description for each transaction is clearly given. There is no doubt about the correctness of the product identified in the transaction-wise import data. Since the petitioner has adopted transaction wise data, the fact that the customs heading for the investigations and proposed measures is broad is entirely immaterial.

7. The rules require the Designated Authority to specify a description of the product which is sufficient for customs purposes. There is no dispute that the Designated Authority has specified the product description which is sufficient for customs purposes. The Designated Authority has specified customs classification only for customs convenience so that the ADD is appropriately collected. It is not the contention of any interested party that ADD is being collected on a product which is not covered under the product scope.

C.2 **Views of exporters, importers, consumers, users and other opposing interested parties**

8. The opposing interested parties raised the following issues regarding the product under consideration and its scope:

(i) There is difference in technical specification of material produced by Bulgaria, China and Ukraine and the domestic industry. The physical forms of the products are also different. Material from Bulgaria and China is Crystal form whereas domestic industry produces in powder form. Further, there is a difference in colour and purity of the product imported from these countries and domestically produced product.

(ii) There are two Grades of Sodium Nitrate (NANO3) – Technical /Industrial & Fertilizer/Fertilizer Grade. There is difference in HS Code also and rate of VAT (Value added Sales Tax) also. There is also difference in Customs Duty and its application. HS Code of Technical / Industrial Grade is 28341010. Sales Tax is 5% VAT. There is 7.5% Basic Duty, 2% Cess & 1% Higher Secondary Cess on Imports. It is not used in Fertilizer / Fertilizer Grade. HS Code of Fertilizer / Fertilizer Grade is 31025000. Sales Tax is 12.5% VAT. There is no Basic Duty, Cess & Higher Secondary Cess. It is not used for Technical / Industrial purpose.

(iii) The heading 2834 (nitrites and nitrates) is quite broad. Sodium Nitrate may be part of subheading 283429 (other nitrates), and consequently may fall within code 28342990 (other nitrates).

(iv) Ukraine side insists on the use of code and description detailed to the maximum extent possible to identify the product.

C.3 **Examination by the Authority**

9. The Authority notes that none of the opposing interested parties filed any response in the form of exporter's/importer's questionnaire. It has been claimed that the purity of the product imported from China, Bulgaria and Ukraine was higher. Further, the imported product and domestic product differs in physical forms. Whereas the imported product is in Crystal form, the domestic product is in powder form. It has been claimed that the colour of the imported material is different from the colour of the material supplied by the domestic industry. It is, however, noted by the Authority that no information with regard to the nature of customers to whom the imported product has been sold was provided to the Authority, nor the impact of difference in physical forms or purity or colour was quantified. On the other hand, the domestic industry has contended that difference in physical form or purity or colour does not render the domestic product different from the imported product. The domestic industry has contended that the domestic product is a like article to the imported product. Further, the domestic industry has contended that the opposing interested party making these comments should be considered as non-cooperating.

10. The Authority notes that it has not been established that difference in purity, physical form or colour renders domestic product as dislike to the imported product. Nor the interested parties have quantified the impact of the alleged difference on the costs and prices of the product.

11. The Authority notes that it has also been claimed that fertilizer and technical/industrial grades are imported under different tariff codes and that whereas fertilizer grade attracts 0.0% basic customs duty, full customs duty is charged on imports reported under technical/industrial applications. The Authority notes that this information provided by the opposing interested parties is just of factual nature without specifically claiming to exclude one type or the other from the scope of the product under consideration. The petitioner has contended that though the product can be used as source of nitrogen in the fertilizer industry, they have neither consumed the product in fertilizer applications themselves nor sold to the consumers in India because it is not cost effective.

12. It is noted that Sodium Nitrate falls under dedicated classifications under 31025000 under Chapter 31. Further, it is observed from the transaction-wise import statistics that the imports of the product under consideration have also been reported under Chapter 28 under subheading 2834 (Nitrites and Nitrates).

13. With regard to the contention that the product falls under the category of Other Nitrates, it is clarified that the

DA has adopted transaction-wise import data from DGCI&S. Each and every transaction has been analyzed to cull out the product from the entire data. Therefore, the question of any other nitrate being included as product under consideration does not arise.

14. With regard to the use of code and description, it is clarified that the Rules provide for complete description of the product which is sufficient for customs purposes as well as relevant to determination of injury and dumping margin.

15. The Authority, thus, holds that the product under consideration in the present investigation is Sodium Nitrate. Sodium Nitrate is a chemical compound with the formula $NaNO_3$. This salt, also known as Chile saltpeter or Peru saltpeter, is a white solid which is very soluble in water. The mineral form is also known as nitratine, nitratite or soda niter. Sodium Nitrate is derived as a co-product in the manufacture of Sodium Nitrite. Ammonia is converted into nitrous oxide at high temperature in presence of catalyst and the nitrous oxide is then absorbed in caustic soda to get Sodium Nitrite and Sodium Nitrate. Typical applications, therefore, in which Sodium Nitrate can be used are Heat Transfer Salts and Flux, to manufacture various other Nitrate salts of Potassium & Barium, Agrochemicals, Bulk Intermediates, Manufacture of glass, Blasting powder, Slurry, Dynamite, Matches, FNS and Performance Chemicals, Leather Tanning Chemicals, Imaging and Colour Intermediates, Pharmaceutical Intermediates, Rubber Chemical Intermediates etc.

16. Sodium Nitrate is classified under customs heading 31025000 under Chapter 31 of the Customs Tariff Act. Further, the imports of Sodium Nitrate have also been reported under Chapter 28 under subheading 2834 (Nitrites and Nitrates). The customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation. The Authority includes all imports of Sodium Nitrate whether reported under Chapter 28 or Chapter 31 in the scope of the product under consideration.

Like Article

17. Rule 2(d) of the AD Rules defines like article as follows:

> *"an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has the characteristics closely resembling those of the articles under investigation".*

18. The applicant has claimed that there is no known difference in subject product produced by the domestic industry and the subject product exported from the subject territory/countries. Both, the subject product produced by the petitioner and that exported from the subject territory/countries have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution& marketing and tariff classification, etc. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used (and are using) the two interchangeably.

19. The Authority has examined the matter and notes that there is no known difference in subject goods produced by the domestic industry and that imported into India from the subject territory/countries. The subject goods produced by the domestic industry and that imported from subject territory/countries are comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. None of the opposing interested parties has raised any objection in this regard. In view of the same, the Authority holds that the subject goods produced by the petitioner company as domestic like article to the product under consideration imported from the subject territory/countries in accordance with the anti dumping Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

20. Rule 2 (b) of the AD Rules defines the domestic industry as under:

> *"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers"*

D.1 **Views of exporters/importers/users and other opposing interested parties**

21. None of the exporters/importers/users or other opposing interested party has made any substantive submissions in this regard, except the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine who submitted its comments on the standing of the Domestic Industry as under:

a. According to the petition of the domestic industry, the production of the domestic industry constitutes approximately 81% of the total Indian production of Sodium Nitrate; Rashtriya Chem and NFL being the other two producers. There are other producers such as Triveni Chemicals, Suvidhi Industries, Peri Nitrates Private Limited and Nikunj Chemicals. The investigating authority may thus determine the degree of support for the Petition and whether the petition has been made by or on behalf of the domestic industry.

22. Rajasthan Explosives & Chemicals Ltd., Dholpur, Rajasthan did not comment on the scope of the domestic industry and its standing and submitted that they are the user of Sodium Nitrate and during the period 2009-10, 2010-11 & 2011-12, had placed orders for the purchase of this material on different suppliers. They had given the details of the quantity ordered and sources of purchase. They further confirmed that they had not imported this item till 18th July, 2013 and purchased only from indigenous manufacturers and suppliers.

D.2 **Views of the Domestic Industry**

23. The Domestic Industry has made the following submissions:
    (i) The petition has been filed by M/s Deepak Nitrite Ltd, Pune. There are two more known producers of the product during the POI in India, Rashtriya Chemicals & Fertilisers Ltd. and National Fertilizer Ltd.
    (ii) The production of the petitioner constitutes a major proportion in Indian production during the period of investigation.
    (iii) The petitioner constitutes domestic industry within the Rules.
    (iv) Petition has been filed by Deepak Nitrite Ltd., whose production constitutes a major share in Indian production. There is no opposition to the petition. None of the companies identified, in fact, are engaged in production of Sodium Nitrate. It is, however, possible that some of these companies are engaged in trading of the product under consideration. In any case, production of these companies cannot be so significant as to render the production of the petitioner so insufficient that the petitioner loses standing under the Rules.

D.3 **Examination by the Authority**

24. M/s Deepak Nitrite Limited has filed the application in the instant matter alleging dumping of 'Sodium Nitrate' originating in or exported from the European Union, China PR, Ukraine and Korea RP and requested for imposition of the anti-dumping duties. The company has not imported the product under consideration from the subject territory/countries or any other countries during investigation period or over the injury period. The petitioner is an eligible domestic industry within the meaning of the Rules. None of the interested parties has commented on this issue except the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine which have been examined. The Government of Ukraine has identified a number of other companies as producers of the product under consideration. The domestic industry has submitted that all these companies may be dealing in Sodium Nitrate but are not producers of Sodium Nitrate. In this regard, the Authority noted that Government of Ukraine has not provided any documentary evidence to show that these other entities identified by them are in fact producer of Sodium Nitrate in India. However, the Authority had sought this information directly from these entities identified by the Government of Ukraine. No one replied to the Authority except Nikunj Chemicals, Vadodara, who responded that they are not manufacturing this product. The Authority had sought relevant information about identities of Indian producers and their production/sales details of the product under consideration from the Administrative Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India as well. The Ministry of Chemicals and Fertilizers has also not responded identifying the entities producing Sodium Nitrate in the country. The Authority notes that it has not been established that the other companies identified by Government of Ukraine are in fact producers of the product under consideration. The evidence on record does not establish that these companies are domestic industry within the meaning of Rule 2(b).

25. Production of the petitioner in the investigation period constituted 80% of Indian production. On the basis of information on record, the Authority determines that production of the applicant constitutes a major proportion in Indian production during the period of investigation and the petition has been made by the domestic industry. The Authority, after examining the facts, determines that the petitioner constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Anti Dumping Rules, and the petition satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

E. MISCELLANEOUS ISSUES

E.1 **Views of the exporters/importers/users and other opposing interested parties**

26. The Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine raised the point that the periods of assessment for analysis were determined as 2009-10, 2010-11, 2011-12 and the POI which is October, 2011-December, 2012. Since the POI is more than 12 months, so indices of POI should not be compared with indices of other years. Further, the petitioner has stated that "Petitioner has no exports of the product under

consideration". But according to International Trade Centre, there was export of Sodium Nitrate from India and Deepak Nitrite is one of the exporting companies.

27. Schott Glass India Pvt. Ltd. did not submit any questionnaire response but only made certain submissions that the petitioner M/s Deepak Nitrate Ltd is regularly increasing its prices of the subject goods and in the last three years, basic price was increased by Rs 900 per MT which is around 39% and if such price increase continues, Schott Glass India Pvt. Ltd will need to develop such product from other competitive markets (domestic/overseas) in order to keep their finish goods' competitiveness and affordability to the domestic pharmaceutical companies. Under the umbrella of anti dumping duty, the manufacturers will get the opportunity to increase their prices as well as the quality standards may deteriorate. The Authority may, therefore, verify as to whatkindof counter measures have been taken by the domestic manufacturers to mitigate price increase.
28. Sandeep Organics Pvt. Ltd. has raised the point that NEOCHIM PLC is the manufacturer in Bulgaria. Fertical Cyprus Ltd is the exporter. Price of Bulgaria is USD 450 PMT CFR Nhava Sheva for 100% Advance Payment.
29. The Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine raised the point that no duties shall be levied retroactively on products entered for consumption prior to the date the initiation of the investigation. Thus, the applicant's claim concerning imposition of anti-dumping duties since the beginning of injury does not have a legal basis.
30. The Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine also raised the point that the applicant's statement that the companies do not take part in the investigation because of the dumping supplies is groundless and unsupported by evidence. Thus, Ukrainian exporters have no interest in this investigation because they did not supply the goods to India for a long period time. In particular, the Ministry was informed of above-said by Ukrainian JSC "Severodonetsk Azot" and JSC "Concern Stirol".

E.2 **View of the Domestic Industry**

31. The Domestic Industry has made the following submissions:
    (i) Given that the investigation period is for 15 months, the petitioner has "annualized" the figures in order to enable comparison with the previous years.
    (ii) There is no response from the company in Bulgaria. Further, the information contained in the petition clearly shows that import price from Bulgaria is materially lower than the selling price of the domestic industry.
    (iii) The domestic industry considers two parameters for fixation of its prices. While domestic industry makes all efforts to realign its prices to the changes in costs on account of raw materials and utilities, the domestic industry is constrained in doing so from the prices offered by foreign producers. There has been significant increase in the costs on account of raw materials and utilities over the injury period because of increase in the prices of these major raw materials and utilities. Resultantly, the domestic industry was constrained to increase its prices for the product under consideration. However, whereas domestic industry should have ideally increased its prices in proportion to the increase in costs on account of raw materials, the domestic industry has been prevented from increasing its prices to the extent of increase in costs on account of raw materials and utilities. In fact, the increase in price was much lower than the increase in costs on account of raw materials.
    (iv) Regarding the point that no duties shall be levied retroactively on products entered for consumption prior to the date of initiation of the investigation, the petitioner has not made any such claim. Nor the Designated Authority has made any such recommendations.
    (v) The contention that the exporters have not cooperated because they did not supply the goods to India for a long period of time has no merit in law. Under the Rules, the Designated Authority is required to treat exporters non cooperative, if they have not filed questionnaire response. This is not only legal position in India, but also the legal position globally.

E.3 **Examination by the Authority**

32. The Authority has examined the above issues and notes that the contention of Government of Ukraine that POI is a period of more than 12 months, it is clarified that the Authority has compared the POI statistics with the preceding years after annualizing the data for POI. This is the consistent practice followed by the Authority in those situations where the POI is more or less than twelve months.
33. Regarding, the claim in the petition that "Petitioner has no exports of the product under consideration", the Authority notes that in Proforma IV-A of the petition, the petitioner has shown exports of the product under consideration in the injury period and the Authority has taken due notice of that.
34. With regard to increase in price issue raised by Schott Glass India Pvt. Ltd and Sandeep Organics Pvt Ltd, it is noted that though the domestic industry has increased its selling price, the increase in its prices is due to increase in the cost of production. It is further noted that the increase in the cost of production is due to increase is input prices. In fact, it is found that the price increases are not in proportion to

increase in costs. It is noted that imports are suppressing the prices of the domestic industry in the market.

35. With regard to the contention on retroactive imposition of duties, the Authority notes that it is not the practice of the Authority to impose anti dumping duties on retrospective basis.

36. It is noted that the Authority proceeds on the basis of the best information available as per Rule 6(8). Since there is no response from any of the exporters/ producers to the exporters' questionnaire, the Authority has conducted investigations on the basis of best information available.

F. ASSESSMENT OF DUMPING – METHODOLOGY AND PARAMETERS

Methodology for Determination Of Dumping Margin

F.1 Normal Value, Export Price and Dumping Margin

37. The Authority notes that none of the exporters/producers from European Union, China PR, Ukraine and Korea RP has responded to the initiation notification by filing exporter questionnaire in the manner and format prescribed and only the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine has made submissions in this regard.

F.2 Views of the domestic industry

38. It has been contended by the domestic industry that China PR should be treated as a non-market economy country, inter alia, stating that:

(i) Market economy status cannot be given in a situation where one of the major shareholders is a State owned/controlled entity: The European Commission has consistently held that possibilities of State interference cannot be ruled out in cases where there is significant share of a State owned/controlled entity. It is not only the question of past interferences alone but also possibilities of potential State interference in the future after the imposition of anti dumping duties that is relevant for granting market economy treatment.

(ii) Market economy status cannot be given unless the responding Chinese exporters establish that the prices of major inputs substantially reflect market values: The Domestic industry contends that "substantially reflect market values" has been widely interpreted to mean that the price of these inputs must be comparable to the prices prevailing in the international market. The Domestic Industry contends that the fact that such prices are comparable to the price prevailing in China PR is grossly insufficient.

(iii) Major inputs include utilities: The Domestic industry contends that production of the product concerned requires power and fuel as a major item of utility. Admittedly, while the power supplier is a State owned entity, insufficient information is available with regard to fuel supplier. It has not been established by the exporters that the prices of utilities reflect fair market values.

(iv) Market economy status cannot be given unless the responding exporters establish that their books are audited in line with international accounting standards: The Domestic industry contends that Chinese exporters have repeatedly disputed the treatment of European Commission to reject market economy treatment in such situations where Chinese exporters are unable to establish that their books are consistent with Chinese GAAP. Chinese companies in such cases have been contending that the requirement of insisting on compliance with International Accounting Standards is beyond law. The European Commission has held that the requirement on insisting compliance with International Accounting Standards is to ensure accuracy and adequacy of revenues and expenses, assets and liabilities expressed in the annual report. To quote the European Commission, reliability of the accounts is not established with regard to this aspect unless the books are consistent with International Accounting Standards.

(v) Market economy status cannot be granted even if one of the parameters is not satisfied: The Domestic industry contends that the European Commission has repeatedly insisted that market economy status cannot be granted unless the responding Chinese exporters pass the test in respect of each and every parameter laid down under the Rules.

(vi) Onus/obligations: The Domestic industry contends that it is not for the Authority to establish that the responding companies are indeed operating under market economy environment and are entitled for market economy treatment. On the contrary, it is for the responding Chinese exporters to establish that they are operating under market economy conditions.

(vii) Transformation: The Domestic industry contends that in a situation where the current shareholders have not set up their production facilities themselves but have acquired the same from some other party, market economy status cannot be granted unless process of transformation has been completely established through documentary evidence.

(viii) Response from group as a whole: The Domestic industry contends that market economy status

cannot be granted unless the responding company and its group as a whole make the claim. If one or more companies forming part of the group have not filed the response, market economy status must be rejected, regardless of the fact whether or not the other companies of the group are involved in production or sale of the product under consideration. It has been contended that the Designated Authority has applied such a test in the matter of Vitrified Tiles cases where the whole group has filed response in order to seek market economy status.

(ix) Failure to satisfy a number of conditions mentioned above by the responding Chinese exporters is sufficient to hold that market economy status cannot be granted to responding Chinese companies and, thus, the Normal value should be determined in accordance with Para-7 of the Rules.

39. It has been contended by the domestic industry that Ukraine should be treated as a non-market economy country, inter alia, stating that:

i) Ukraine producers were not granted market economy status in the matter of soda ash.

ii) The basis for presumption of treating Ukrainian producers as companies not operating in market economy environment is different in India and in Europe. In India, it must be established that a WTO member country has treated such country as market economy country on the basis of evaluation criteria prescribed under the Rules.

iii) It has not been established that US or EU has granted market economy status to Ukrainian producers on the basis of evaluation criteria laid down under the law.

iv) In any case, none of the producers in Ukraine has cooperated with the Authority nor the Ukrainian producers have established that market economy status is required to be given to them in the present case. Thus, the Designated Authority is not in a position to determine normal value on the basis of questionnaire response from Ukrainian producers.

v) It has been contended by the domestic industry that it could not collect any information/evidence such as price lists or quotations of producers of subject goods in the domestic markets of European Union, Ukraine and Korea RP due to lack of relevant information in public domain and, therefore, it has constructed the normal value in the case of imports from European Union, Ukraine and Korea RP. Further, none of the producers/exporters in the subject countries has responded in the course of investigations.

vi) It has not been established that Ukraine has been granted market economy status on the basis of specified evaluation criteria. Such being the case, the Designated Authority is not required to grant market economy status in the present case.

vii) The Govt. of India has not amended the Rules. So long as the Rules are not amended, the Designated Authority is required to follow the present Rules. As regards the agreement referred by the Govt. of Ukraine, the same is not part of the records of the present investigations. Designated Authority cannot adopt information which is not part of the investigations. In any case, the domestic industry is required to be given opportunity to defend its interests. Petitioner hopes that the Designated Authority would not adopt some document without providing access to the domestic industry. This would, otherwise, be against the principles of natural justice.

F.3 Views of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine

40. Ukraine is treated as non market economy in the current investigation. In the case of anti dumping investigations on imports of soda ash from Ukraine, the Ukrainian authorities had provided to the Indian side with materials confirming market economy status of Ukraine according to Indian law. In addition, since 30.12.2005, the European Community has recognized the market status of the Ukrainian economy according to the Council Regulation of the EU No 2117/2005 [published in the Official Journal of EU No L340/17 of 23.12.2005] and Ukraine was excluded from the list of non market economies. Further, EU's criteria of assessment of market economy are similar to those specified in Indian law. Along with this, in February 2006, the US officially granted market economy status to Ukraine according to criteria defined in Art.771.18 of the US Tariff Act of 1930. The decision to grant market economy status to Ukraine was published in the Federal Register of the United States No 37 of 02.24.2006. Pursuant to the provision of Indian law, the competent authority has to consider Ukraine as a market economy country.

41. Information provided by Ukrainian side shows that most developed countries treat Ukraine as market economy country.

42. Within the framework of this investigation, Ukraine should be treated as a market economy country in accordance with the agreements reached during the fifth session of the Ukrainian-Indian intergovernmental commission on trade-economic, scientific-technical, industrial and cultural cooperation, and based on the studies presented by the Ukrainian side.

F.4 Examination of Market Economy claims in respect of China PR and Ukraine by the Authority

43. Para 7 of Annexure I of the Rule provides that:

> *"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments"*

44. Further, the relevant provisions laid down under Annexure I to the Anti- dumping Rules are as follows:

> *8. (1) The term "non-market economy country" means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in sub-paragraph (3).*
>
> *(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an anti-dumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three year period preceding the investigation is a nonmarket economy country. Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3).*
>
> *(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether:*
>
> *(a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;*
>
> *(b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;*
>
> *(c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and (d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate.*
>
> *Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph".*
>
> *(4) Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated authority may treat such country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria specified in sub paragraph (3), has been, by publication of such evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy country for the purposes of anti dumping investigations, by a country which is a member of the World Trade Organization."*

45. The Authority notes that in the past three years China PR has been treated as a non-market economy country in anti-dumping investigations by India and other WTO Members. China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the AD Rules.

46. The Authority notes that none of the producers/exporters of the subject goods from China PR has submitted either questionnaire response or response to the market economy questionnaire consequent upon the initiation notice issued by the Authority or has sought to rebut the non-market economy presumption.

47. As far as the contention of the Government of Ukraine to treat Ukraine as a market economy country is concerned, the Authority notes that no detailed documents have been provided by the Government of Ukraine to establish that any WTO member has granted market economy status to Ukraine after following the evaluation criteria laid down under Para 8(3) and by publication of such evaluation in a public document as required under Para 8(4) of the Annexure-I to the Anti-dumping Rules. Furthermore, none of the producers/exporters from Ukraine has cooperated and submitted the market economy questionnaire response in rebuttal of non market economy presumption. In view of the same, the Authority has determined the normal value for Ukraine as per the relevant Rules on the basis of best available information.

F.5 Determination of Normal Value for producers and exporters

F.5.1 Determination of Normal value in respect of Exporters / Producers from

China PR

48. In the absence of any response from any producer/ exporter from China PR, the Authority proceeds to determine the Normal value in China PR on available facts basis in terms of second proviso of para 7 of Annexure 1 to the AD Rules. Accordingly, the ex-works Normal Value of the product under consideration has been determined based on constructed costs of production, duly adjusted to include selling, general & administrative costs and profits. The normal value so determined is *** US$/MT.

F.5.2 Determination of Normal value in respect of Exporters / Producers from

EU

49. As provided under the law, the Authority is required to consider selling price of the product when meant for consumption in the domestic market of EU for determining normal value in EU. The petitioner claimed that there is no evidence of actual selling price prevailing in the domestic market of the EU. None of the exporters in EU has cooperated with the Authority with questionnaire response. The Authority notes that in the absence of any response from any EU producer in the form and manner prescribed, the normal value cannot be determined on the basis of questionnaire response of a producer in the EU. The Authority has, therefore, constructed normal value by considering estimates of cost of production, duly adjusted to include selling, general & administrative costs and profits. The normal value so proposed to be determined is *** US$/MT.

F.5.3 Determination of Normal value in respect of Exporters / Producers from

Ukraine

50. The petitioner has contended that Ukraine should be treated as a non-market economy country. Further, the petitioner has claimed that there is no evidence of actual selling price prevailing in the domestic market of Ukraine. Also, none of the exporters in Ukraine has cooperated with the Authority with questionnaire response. In the absence of any response from any producer/ exporter from Ukraine, the Authority proceeds to determine the Normal value in Ukraine on available facts basis in terms of second proviso of para 7 of Annexure 1 to the AD Rules. The Authority has, therefore, constructed the normal value by considering estimates of cost of production, duly adjusted to include selling, general & administrative costs and profits. The normal value so proposed to be determined is *** US$/MT.

F.5.4 Determination of Normal value in respect of Exporters / Producers from

Korea RP

51. As provided under the law, the Authority is required to consider selling price of the product when meant for consumption in the domestic market of Korea RP for determining normal value in Korea RP. The petitioner submitted that there is no evidence of actual selling price prevailing in the domestic market of Korea RP. None of the exporters in Korea RP has cooperated with the Authority with questionnaire response. The Authority notes that in the absence of any response from any Korean producer in the form and manner prescribed, the normal value cannot be determined on the basis of questionnaire response of a producer in Korea RP. The Authority has, therefore, constructed normal value by considering estimates of cost of production, duly adjusted to include selling, general & administrative costs and profits. The normal value so proposed to be determined is *** US$/MT.

F.6 Determination of Export Price for producers and exporters

52. Since none of the exporters from any of the subject countries has responded to the Authority, the Authority has determined Export Price in respect of imports from EU, China PR, Ukraine and Korea RP on the basis of best information available in accordance with Rule 6(8) of the AD Rules. The petitioner has claimed export price on the basis of imports of the product under consideration in India, as reported by

DGCI&S published data. The Designated Authority has also procured the transaction wise import data from the DGCIS. The Designated Authority has considered the data received from DGCI&S and determined the export price considering all imports of the product under consideration in India. Price adjustments have been made on the basis of claims made by petitioner domestic industry in view of non cooperation from the exporters from China, EU, Korea RP and Ukraine. The proposed export price has been determined at ex-factory level as stated in the below table.

Particular	Unit	China PR	Korea RP	EU	Ukraine
Net Export Price	US$/MT	***	***	***	***

F.7 DUMPING MARGIN

53. Considering the normal value and export price as determined above, the proposed dumping margins have been determined as follows. It is seen that the dumping margins are more than de-minimis and significant.

S.No	Particular	Unit	China PR	Korea RP	EU	Ukraine
1	Normal Value	US$/MT	***	***	***	***
2	Net Export Price	US$/MT	***	***	***	***
3	Dumping Margin	US$/MT	***	***	***	***
4	Dumping Margin	%	***	***	***	***
5	Dumping Margin	% Range	40-50	35-45	65-75	55-65

G. ASSESSMENT OF INJURY AND EXAMINATION OF CAUSAL LINK

INJURY

54. The opposing interested parties have made the following submissions on injury to the domestic industry:

(i) The Authority should take note of the fact that the total imports of Sodium Nitrate to India declined on calendar year basis as per three sources, viz., International Trade Centre, UN COMTRADE and Ministry of Commerce & Industry of Republic of India. Total imports decreased by 48% in 2011-12 as compared to 2009-10. Imports from Ukraine declined by 82% in 2011-12 as compared to 2009-10. In 2010-11, there were no imports from Ukraine in India. Further, there is no supply of Sodium Nitrate from Ukraine to India in 2013. Thus, imports from Ukraine did not influence the Indian market in 2013. There was no significant increase in imports from Ukraine as well as in the total imports in India. Further, it is seen that the cumulative imports of sodium nitrate from all countries concerned in the period 2008-2012 reduced by 62%.

(ii) The petition states that "demand shows significant positive growth". But there is a decreasing trend in demand. Decline in demand could be the reason that influenced the volume of production and sales of the petitioner.

(iii) The petition states that petitioner has no exports of the product under consideration. However, as per the website of International Trade Centre, the petitioner is one of the exporting companies. The petitioner tried to deceive the Authority by manipulating the statistical data

(iv) Profits of the petitioner had a positive trend and during the last period they increased by 56%. Administrative expenses increased significantly by 2.7 times between Mar'09 and Mar'13. Such expenses should be considered as other factors which are injuring the domestic industry. Production increased by 23.3% in 2011-12 as compared to 2009-10. Capacity utilization increased by 8% in 2011-12 as compared to 2009-10. Domestic sales increased by 24% in 2011-12 as compared to 2009-10. Productivity per day increased by 20% in 2011-12 as compared to 2009-10. Export increased by 24% in 2011-12 as compared to 2009-10 and wages increased 2 times in 2011-12 as compared to 2009-10.

(v) Considering the above, imposition of anti dumping measures against Ukrainian import of Sodium Nitrate to India will be unreasonable due to the absence of sufficient evidences of causal relationship between dumped import and injury to the domestic industry.

(vi) There was a decrease in imports of sodium nitrate (with code 31025000) into the Republic of India from the countries concerned during the injury analysis period.

(vii) According to Article 5 of the Agreement of 1994, there is no causal link between the imports of goods which are the subject of the investigation and injury to the Domestic Industry. The mere assertion unsupported by any evidence, cannot be considered sufficient for the imposition of definitive duties.

55. The domestic industry has submitted that:

a) Subject imports have increased substantially in absolute terms.

b) Subject imports have increased in relation to total imports and consumption and production in India.

c) Subject imports are undercutting the prices of domestic industry to a significant extent.

d) Price undercutting has prevented the domestic industry from increasing the prices. Imports are suppressing the prices of the domestic industry in the market.

e) Performance of the domestic industry has deteriorated in terms of production, domestic sales, capacityutilization, market share, inventories, profits, return on investment and cash profits to a very significant extent.

f) There is a threat of further increase in the volume of dumped imports, which would further aggravate the injury being caused to the domestic industry if anti dumping measures are not imposed.

g) Given that the investigation period is for 15 months, the petitioner has "annualized" the figures in order to enable comparison with the previous years.

h) Cumulative assessment of injury is appropriate. Import volumes were higher in some country in some period and lower from that country in some other period. In case of Ukraine, the share of Ukraine in total imports was high in 2009-10, while no imports were reported in 2010-11. Thereafter, share of imports from Ukraine has increased in the subsequent two years. Thus, different countries have been competing with each other in the Indian market. Further, in period of investigation, Ukraine was one of the major suppliers of the product in the Indian market. In fact, imports from Ukraine individually constitutes single largest share in total imports of the product in the country.

i) The Government of Ukraine has selectively compared increase in production, capacity utilization, domestic sales, productivity, exports and wages in 2011-12 with 2009-10. It would be seen from the information submitted that production, capacity utilization, domestic sales and productivity first increased and then declined in the POI.

j) The figures of imports reported by the petitioner are based on transaction wise imports of the product in the country. Further, it appears that the information given by Govt. of Ukraine, in any case, is not useful for the reason that they have considered imports falling under Chapter 31 alone, whereas the transaction wise data clearly shows that the imports have been reported under Chapter 28 as well. It would be seen that it is permissible for an importer to adopt any of the above mentioned codes in order to clear the goods. Given the fact that there is more than one permissible classification for the product and the fact that, in fact, imports have been reported under more than one HS Code, it follows that the imports reported by Govt. of Ukraine are not representative of actual volume of imports.

k) The preliminary findings notified by the Designated Authority adequately deals with causal link between dumping & injury to the domestic industry. Further, the petition and written submissions filed by the petitioner also adequate deals with causal link between dumping & injury to the domestic industry. It has not been established that any of the factors of causal link found by the Designated Authority are inappropriate or factually incorrect.

Examination by the Authority

56. Annexure II para (iii) of the AD Rules requires that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti dumping investigations, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, if it determines that: -

a. the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two per cent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three per cent of the import of like article or where the export of individual countries is less than three per cent, the imports collectively accounts for more than seven per cent of the import of like article and

b. cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

57. In this regard, the Authority notes that:
    a. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the limits prescribed under the Rules;
    b. The volume of imports from each of the subject countries is more than the limits; and
    c. It is appropriate to cumulatively assess the effects of imports of the subject goods from European Union, China PR, Ukraine and Korea RP on the domestically produced like article in the light of conditions of competition between the imported article and the like domestic article.
58. Annexure-II of the AD Rules provides for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like articles; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such articles. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree or prevent price increases which would have otherwise occurred to a significant degree.
59. The Authority has considered the views of the interested parties and addressed the same appropriately in this investigation.
60. Government of Ukraine contended that imports have declined. The Authority notes that the volume of imports from Ukraine had in fact declined in 2010-11 and 2011-12 as compared to the base year 2009-10; but the annualized figures in the period of investigation show that the volume of imports from Ukraine increased in the period of investigation even when the demand had declined in the period of investigation. Further, Government of Ukraine has disputed the claim of the petitioner with regard to injury suffered by the domestic industry. It is noted that the Government of Ukraine has considered the performance of the domestic industry during the year 2011-12 and compared the same with the preceding year, thus, ignoring performance of the domestic industry in the period of investigation. The Authority notes that the purpose of fixation of the period of investigation is to determine dumping margin during the period of investigation and thereafter assess whether it could be concluded that the domestic industry has suffered injury in the period of investigation, having regard to the performance of the domestic industry in preceding period. Thus, it is the period of investigation wherein the performance of the domestic industry must be considered. The preceding years serve as a basis for comparison.
61. It is noted that since the conditions specified under the rules for cumulative assessment of the injury are satisfied in the present case, the Authority has assessed injury to the domestic industry by cumulatively considering imports from the subject countries and not from Ukraine alone.
62. It is noted that market share in demand in the POI increased slightly as compared to the preceding year. The imports, however, increased significantly and disproportionately. Thereafter, whereas demand declined in 2011-12, imports increased. Further, whereas there was some increase in demand in the POI, the increase in imports was far more than the increase in demand. It is, thus, seen that after 2010-11, the imports have increased more than the increase in demand.
63. The argument advanced by Government of Ukraine with regard to existence of injury to the domestic industry and performance of the domestic industry as reflected in various economic parameters were also examined. It is noted that arguments of Government of Ukraine with regard to parameters such as profit/loss and administrative expenses are based on overall operations of the domestic industry. It is noted that the domestic industry is a multi product company and has been engaged in production and sale of a number of products. The Authority is required to consider information only relating to the product under consideration. Overall performance of the domestic industry which is reflective of the situation of domestic industry cumulatively for various products is not relevant to decide the consequence impact of the dumped imports on the domestic industry. It is also noted that the Government of Ukraine has compared performance of the domestic industry between 2009 and 2011-12 and has ignored the performance of the domestic industry during the present period of investigation. It is noted that the Authority has fixed the period of investigation in order to determine dumping margin and injury margin that was prevailing in respect of imports made into India during the period of investigation. Further, the Authority is required to examine performance of the domestic industry in the period of investigation vis-à-vis the previous years. The information for the previous period in this regard serves as a benchmark to decide whether performance in the period of investigation could be described as injurious.
64. With regard to the contention that there was a decrease in imports of sodium nitrate (with code 31025000), it is noted that the transaction-wise import information collected from DGCI&S for the product under consideration shows an increase in imports of the subject goods from the subject countries in the period of investigation.
65. With regard to the contention that there is no causal link between the imports of goods which are the subject of the investigation and injury to the Domestic Industry, it is noted that the Authority has conducted detailed investigations of the injury information provided by the domestic industry and the analysis of this investigation

is given in the subsequent paragraphs of this section.

G.1 **Volume Effect of dumped imports and Impact on domestic Industry**

a) Assessment of Demand and Market Share

66. The Authority has determined demand as the sum of domestic sales of the domestic industry, sales of other Indian producers and imports of the subject goods in India from all sources (as per DGCIS data). The demand so assessed can be seen in the table below:

Description	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI	POI (Annualised)
Domestic industry sale	MT	7,793	10,855	9,624	11,465	9,172
Other Producer	MT	3,953	2,568	2,580	3,225	2,580
Subject Countries	MT	4,073	3,093	2,413	4,663	3,730
China PR	MT	1,917	2,012	378	560	448
Korea RP	MT	0	762	1,038	919	735
EU	MT	931	319	797	1,613	1,290
Ukraine	MT	1,226	0	200	1,571	1,257
Other Countries	MT	409	140	63	25	20
Total Demand	MT	16,228	16,656	14,679	19,379	15,503
Market Share in Demand						
Domestic industry	%	48%	65%	66%	59%	59%
Other Producer	%	24%	15%	18%	17%	17%
Subject countries	%	25%	19%	16%	24%	24%
China PR	%	12%	12%	3%	3%	3%
Korea RP	%	0%	5%	7%	5%	5%
EU	%	6%	2%	5%	8%	8%
Ukraine	%	8%	0%	1%	8%	8%
Other Countries	%	3%	1%	0%	0%	0%

67. It is seen from the above table that demand for the subject goods has declined in the POI as compared to the base year. However, the same has increased during the POI as compared to previous year. The Authority further notes that the market share of the subject countries in demand has declined up to 2011-12 and increased thereafter in the POI. On the other hand, market share of the domestic industry increased in 2010-11, remained at the same level in 2011-12 and then declined in the period of investigation. It is noted that while the market share of the domestic industry during the POI has increased as compared to the base year, the market share of the imports from the subject countries declined marginally in the POI as compared to the base year.

b) Volume Effects of Dumped Imports: Import volumes and market shares

68. Volume of imports and imports in relation to production and consumption in India are given in the table below:

Import Volume	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI	POI (Annualized)
China PR	MT	1,917	2,012	378	560	448
Korea RP	MT	0	762	1,038	919	735
EU	MT	931	319	797	1,613	1,290
Ukraine	MT	1,226	0	200	1,571	1,257

Subject Countries	MT	4,073	3,093	2,413	4,663	3,730
Other Countries	MT	409	140	63	25	20
Total Imports	MT	4,482	3,233	2,476	4,688	3,751
Total Consumption	MT	16,228	16,656	14,679	19,379	15,503
Total Production	MT	8,952	12,365	11,042	13,099	10,479
Imports from Subject Countries in relation to						
Total Imports	%	91%	96%	97%	99%	99%
Consumption	%	25%	19%	16%	24%	24%
Production	%	32%	21%	18%	29%	29%

69. It is noted that from the above table that there were no imports from Korea RP in 2009-10. However, there were significant imports from EU, China and Ukraine in this year. Imports from China PR were significant during 2009-10 and increased in 2010-11. The same has declined thereafter till 2011-12 and again increased during the period of investigation. There were no imports from Korea RP in 2009-10, but the same has increased till 2011-12 and declined during the POI. The imports from EU declined in 2010-11 and increased thereafter till the period of investigation. The imports from Ukraine were significant in 2009-10, and declined to NIL in 2010-11, then increased thereafter till period of investigation. The imports from Ukraine during the POI increased as compared to the base year and significantly in comparison to the previous year. It is further noted that the volume of imports cumulatively from the subject countries declined till 2011-12 and then increased significantly during the POI. Overall, there was a decline in the POI on annualized basis.

G.2 **Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry**

a) Price Undercutting and Price Underselling

70. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lay down as follows

> *"With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree.*

71. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison was made between the landed value of the product concerned and the average selling price of the domestic industry. This comparison showed that during the period of investigation, the subject goods originating in or exported from the subject countries were imported in the Indian market at prices which were lower than the domestic industry selling prices. It is, thus, noted that imports of subject goods were undercutting the domestic prices.

72. The price undercutting is determined as below:

China PR

Particular	Units	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Landed price of imports	Rs/MT	***	***	***	***
Net Sales Realization	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting (%)	%	***	***	***	***
Price Undercutting (% Range)	%	15-25	5-15	0-10	5-15

Korea RP

Particular	Units	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Landed price of imports	Rs/MT	-	***	***	***
Net Sales Realization	Rs/MT	-	***	***	***
Price Undercutting	Rs/MT	-	***	***	***
Price Undercutting (%)	%	-	***	***	***
Price Undercutting (% Range)	%	-	0-10	5-15	0-10

EU

Particular	Units	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Landed price of imports	Rs/MT	***	***	***	***
Net Sales Realization	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting (%)	%	***	***	***	***
Price Undercutting (% Range)	%	5-15	5-15	10-20	10-20

Ukraine

Particular	Units	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Landed price of imports	Rs/MT	***	***	***	***
Net Sales Realization	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting (%)	%	***	***	***	***
Price Undercutting (% Range)	%	0-10	-	5-15	10-20

Subject Countries

Particular	Units	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Landed price of imports	Rs/MT	22,389	21,318	24,716	27,132
Net Sales Realization	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting (%)	%	***	***	***	***
Price Undercutting (% Range)	%	5-15	5-15	5-15	5-15

73. The Authority notes from the above that the landed prices of the subject goods were below the selling price of the domestic industry showing significant price undercutting being caused by the dumped imports from the subject countries.
74. The price underselling is determined as below:

S. No	Particular	Units	China PR	Korea RP	EU	Ukraine
1	Non Injurious Price (NIP)	US$/MT	***	***	***	***
2	Landed Price	US$/MT	***	***	***	***
3	Price Underselling	US$/MT	***	***	***	***
4	Price Underselling	%	***	***	***	***
5	Price Underselling % Range	% Range	20-30	15-25	30-40	25-35

b) Price Suppression and Depression

75. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. The trends in this regard are summarized below:

Description	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
Trend		*100*	*100*	*140*	*159*
Net Sales Realization	Rs/MT	***	***	***	***
Trend		*100*	*93*	*110*	*122*
Landed price of imports - subject countries as a whole	Rs/MT	22,389	21,318	24,716	27,132

76. It is noted that the net sales realization during the injury period has increased except in 2010-11. However, it is lower than the increase in the cost of sales during the same period. The landed value during the injury period except 2010-11 has also increased. However, the increase in landed value is far lower than the increase in the cost and selling price. Thus, dumped imports are causing suppressing effect on the prices of domestic industry.

G.3 **Economic Parameters of the Domestic Industry**

77. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Anti- dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below:

a) Capacity, Production, Capacity Utilization and Sales

78. Information on capacity, production, capacity utilization and sales volumes of the domestic industry has been as under:-

Description	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI	POI (annualized)
Plant Capacity	MT	44,000	44,000	44,000	55,000	44,000
Production - Plant (SNI+SNA)	MT	38,151	42,810	41,106	50,287	40,230
Capacity Utilisation - Plant	%	87	97	93	91	91
Production - PUC	MT	8,952	12,365	11,042	13,099	10,479
Domestic Sales Volume - PUC	MT	7,793	10,855	9,624	11,465	9,172

*SNI – Sodium Nitrite, SNA - Sodium Nitrate

79. The Authority notes that the product under consideration is jointly produced with sodium nitrite. Since the production facilities are common and the products are co- produced, capacity utilization has been examined by considering combined production of sodium nitrite and sodium nitrate. The petitioner has claimed that the capacity of 44,000 MT is combined capacity of both Sodium Nitrite and Sodium Nitrate. Therefore, for the purpose of evaluation of utilization of production capacities, the Authority has considered production of both Sodium Nitrite and Sodium Nitrate and determined capacity utilization.

80. It is noted from the above table that the domestic sales, production and capacity utilization of the domestic industry increased up to 2010-11 and declined thereafter.

b) Profits, Return on Capital Employed and Cash Profit

81. The profits, return on investment and cash flow of the domestic industry have been examined as under:

Description	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI (annualized)
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
Trend		*100*	*100*	*140*	*159*
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend		*100*	*93*	*110*	*122*
Profit/ Loss	Rs/MT	***	***	***	***
Trend		*100*	*(2)*	*(332)*	*(419)*
Profit/ Loss	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend		*100*	*(3)*	*(410)*	*(493)*
Profit before interest and tax	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend		*100*	*20*	*(295)*	*(348)*
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend		*100*	*60*	*(236)*	*(287)*
Return on Capital Employed (NFA basis)	%	***	***	***	***
Trend		*100*	*17*	*(219)*	*(264)*

82. The Authority notes from the above as under:

(i) Both the net selling price and cost of sales of the domestic industry increased over the injury period. However, the increase in cost of sales of the domestic industry was much higher than the increase in the selling price. The profitability of the domestic industry declined throughout the injury period.

(ii) As a result of decline in profits, the return on investment and cash profits declined significantly during the POI as compared to the base year as well as previous year. It is noted that the domestic industry incurred losses, cash losses and negative return on capital employed during 2011-12 and the POI.

c) Employment and Wages

83. The status of employment levels and wages of the domestic industry has been as under:

Description	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI	POI (annualized)
Employment	Nos.	***	***	***	***	***
Trend		*100*	*121*	*112*	*116*	*116*
Salary and Wages	Rs.Lacs	***	***	***	***	***
Trend		*100*	*182*	*213*	*196*	*156*
Wage per unit	Rs./Kg	***	***	***	***	***

84. It is noted from the above that the employment level increased in 2010-11 and then declined and again increased in POI. It is further noted that there was increase in wages up to 2011-12 which declined in the POI. The wage per unit increased up to 2011-12 and declined in the POI.

d) Productivity

85. The productivity of the domestic industry is given in the following table:

Description	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Productivity Per Employee	MT/Nos	***	***	***	***
Productivity Per Day	MT/Day	***	***	***	***

86. The Authority notes that the productivity per employee and the productivity per day increased in 2010-11 and thereafter declined.

e) Inventories

87. The Authority has examined the inventory level of the domestic industry which is given in the following table:-

Description	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Average Stock	MT	***	***	***	***
Trend		*100*	*277*	*439*	*191*

88. It is noted from the above table that the inventory of the domestic industry increased up to 2011-12 and declined in the POI.

f) Magnitude of Dumping

89. Magnitude of dumping as an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry shows that the dumping margin determined against the subject countries are above de minimis and significant.

g) Factors Affecting Domestic Prices

90. Consideration of the import prices from the subject countries and other countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market show that the landed value of imported material from the subject countries is below the selling price of the domestic industry causing significant price undercutting in the Indian market. Cost of production of the subject goods is increasing as a result of increase in the costs on account of raw materials. The domestic industry has increased its prices. However, the price increases are less than cost increases. It is further noted that imports of subject goods from other countries are at much higher prices. Thus, the principal factor affecting the domestic prices is the dumped imports of the subject goods from the subject countries.

h) Ability to raise capital

91. The Authority notes that the domestic industry is a multi-product company. The Petitioner has argued that given the current state of affairs where the product is consistently not performing well because of persistent dumping, any fresh investment is not envisaged.

i) Growth

92. With regard to the growth of the domestic industry, the position is as under:

Year by year growth	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Production	%	-	38	(11)	(5)
Domestic Sales	%	-	39	(11)	(5)
Cost of Sales	%	-	(0)	40	14
Selling Price	%	-	(7)	18	11
Profit per MT	%	-	(102)	(17,278)	(26)
Return on Investment (NFA)	%	-	(14)	(39)	(7)

93. The Authority notes that the production, sales volume, profits and the return on investment of the domestic industry show negative growth over the injury period. Overall growth of the domestic industry over the injury period was adverse.

G.4 **Other Known Factors and Causal Link**

94. As per the AD Rules, the Designated Authority is, inter alia, required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors must not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumping prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology, export performance and the productivity of the domestic industry. The Authority has examined whether other factors listed under the AD Rules could have contributed to injury to the domestic industry.

95. The examination of causal link has been done as follows:

(a) Imports from third countries and other known factors

96. The Authority notes that the volume of imports from the countries other than the subject countries has been insignificant in the injury period.

(b) Contraction in demand and / or change in the pattern of consumption

97. There has been some decline in demand over the injury period. However, the domestic industry suffered injury primarily on account of dumped imports than on account of any change in the demand. From the available information, it is noted that the volume of dumped imports increased even when the demand declined.

(c) Trade restrictive practices of and competition between foreign and domestic producers

98. It is noted that there is a single market for the subject goods where dumped imports from the subject countries compete directly with the subject goods supplied by the domestic industry. It is also noted that the imported subject goods and domestically produced goods are like articles and are used for similar applications/end uses. There is no evidence of trade restrictive practices of and competition between the foreign producers and domestic producers causing injury to the domestic industry.

(d) Developments in Technology

99. There is no allegation of developments in technology, nor has the investigation so far shown that possible injury to the domestic industry could have been caused by developments in technology.

(e) Export performance

100. The Authority notes that the volume of exports of the petitioner company forms nearly 10% of the total sales of the product. However, the injury information pertains to the domestic performance of the petitioner company. Therefore, the losses to the domestic industry during the injury period and the period of investigation cannot be attributed to possible deterioration in the export performance of the domestic industry.

(f) Productivity of the domestic industry

101. The Authority notes that the decline in productivity is attributed to decline in production caused by increase in the volume of dumped imports.

102. The Authority notes that while listed known other factors do not show that injury to the domestic industry has been caused by these factors, the following parameters show that injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports.

(a) There has been a significant increase in the volume of dumped imports from the subject countries at the absolute level. The market share of dumped imports from the subject countries in total imports of subject goods is nearly 100% in the POI.

(b) The imports were significantly undercutting the domestic prices.

(c) Resultantly, the price undercutting created price pressures on the domestic industry. Resultantly, profitability of the domestic industry deteriorated.

(d) The dumped imports have had significant adverse price effect in terms of price suppression. As a result of significant price difference and inability of domestic industry to raise its prices in proportion to cost increases, the performance of the domestic industry deteriorated in terms of profits, cash profits and return on investments. Thus, the deterioration in performance of the domestic industry in respect of profits, cash flows and return on investment is due to dumping of the product in the country.

(e) Growth of the domestic industry became negative in respect of volume and price parameters.

(f) Whereas volume of imports and its market share increased in 2010-11 and the investigation period, the domestic industry lost market share. Consequently, production, sales, capacity utilization of the domestic industry deteriorated.

H. Magnitude of injury and injury margin

103. The Authority has determined non-injurious price for the domestic industry taking into consideration the cost of production of the domestic industry. This non-injurious price of the domestic industry has been compared with the landed values of the subject imports from the subject countries to determine injury margin. The injury margins have been worked out as follows:

Injury Margin

S.No.	Particular	Units	China PR	Korea RP	EU	Ukraine
1	Non Injurious Price (NIP)	US$/MT	***	***	***	***
2	Landed Price	US$/MT	***	***	***	***
3	Injury Margin	US$/MT	***	***	***	***
4	Injury Margin	%	***	***	***	***
5	Injury Margin	% Range	20-30	15-25	30-40	25-35

104. The level of dumping margins and injury margins, as determined, are considered significant.

I. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

105. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to reestablish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

106. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

G. POST DISCLOSURE STATEMENT SUBMISSIONS BY THE INTERESTED PARTIES

G.1 Post Disclosure Statement submissions by the opposing Interested Parties

107. None of the opposing interested parties filed the post Disclosure Statement submissions.

G.2 Post Disclosure Statement submissions by the Domestic Industry

108. Following are in brief the post Disclosure Statement submissions made by the domestic industry:

(a) Non-injurious price may be re-determined confirming to AD Rules and past methodology applied by the Authority in this regard.

(b) Product under consideration is exported to India below its normal value resulting in dumping from each of the subject countries.

(c) Both dumping margin and injury margin in the Period of Investigation are significant and positive from each of the subject countries.

(d) Domestic Industry has suffered material injury.

(e) The anti dumping duty is required to be imposed definitively in fixed form and the duty expressed in US$ terms.

G.3 Examination by the Authority

109. The Authority has reached to the conclusion that the above arguments of the domestic industry are repetitive and have already been dealt with by the Authority in the Disclosure Statement earlier and have also been dealt with again in the Final Finings Notification under appropriate headings.

J. CONCLUSION

110. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that the product under consideration, Sodium Nitrate, has been exported to India from the European Union, China, Ukraine and Korea RP below its associated normal value, thus, resulting in dumping of the product. The domestic industry has suffered material injury

in respect of the subject goods. The material injury has been caused by the dumped imports from the European Union, China PR, Ukraine and Korea RP.

K. RECOMMENDATIONS

111. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and the causal link. Having initiated and conducted an investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the AD Rules and having established positive dumping margins as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of definitive anti dumping duty is required to offset dumping and consequent injury equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. For the purpose of determining injury margin, the landed value of imports of product under consideration has been compared with the non-injurious price of the domestic like product produced by domestic industry determined for the period of investigation.

112. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, anti dumping duty as per amount specified in the table below is recommended to be imposed from the date of the Notification to be issued by the Central Government on all imports of the subject goods originating in or exported from the European Union, China PR, Ukraine and Korea RP.

Duty Table

S. No.	Heading/ Subheading	Description of goods	Country of Origin	Country of Exports	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit	Currency
1	3102 50 00 & 2834	Sodium Nitrate	China PR	China PR	Any	Any	137.35	MT	USD
2	3102 50 00 & 2834	Sodium Nitrate	China PR	Any	Any	Any	137.35	MT	USD
3	3102 50 00 & 2834	Sodium Nitrate	Any country other than the subject countries	China PR	Any	Any	137.35	MT	USD
4	3102 50 00 & 2834	Sodium Nitrate	European Union	European Union	Any	Any	171.79	MT	USD
5	3102 50 00 & 2834	Sodium Nitrate	European Union	Any	Any	Any	171.79	MT	USD
6	3102 50 00 & 2834	Sodium Nitrate	Any country other than the subject countries	European Union	Any	Any	171.79	MT	USD
7	3102 50 00 & 2834	Sodium Nitrate	Ukraine	Ukraine	Any	Any	157.91	MT	USD
8	3102 50 00 & 2834	Sodium Nitrate	Ukraine	Any	Any	Any	157.91	MT	USD
9	3102 50 00 & 2834	Sodium Nitrate	Any country other than the subject countries	Ukraine	Any	Any	157.91	MT	USD
10	3102 50 00 & 2834	Sodium Nitrate	Korea RP	Korea RP	Any	Any	117.20	MT	USD
11	3102 50 00 & 2834	Sodium Nitrate	Korea RP	Any	Any	Any	117.20	MT	USD

12	3102 50 00 & 2834	Sodium Nitrate	Any country other than the subject countries	Korea RP	Any	Any	117.20	MT	USD

113. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

114. An appeal against the order of the Central Government arising out of this finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

J K DADOO, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.